परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ राजस्थान की रूपरेखा पृष्ठ 1)

राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आंकड़े

क्र.सं.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्रफल			3,42,239 वर्ग किमी
2	जनसंख्या			
	अ	2001 की जनगणनानुसार		5.65 करोड़
	ब	2011 की जनगणनानुसार		6.85 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)			165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	जनसंख्या घनत्व 2011 (भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)			200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या* (बीपीएल) (भारत का औसत = 21.9 प्रतिशत)			*14.7 प्रतिशत*
5	अ	कुल साक्षरता (2001) (भारत का औसत = 65.4 प्रतिशत)[@]		60.4 *प्रतिशत*
	ब	कुल साक्षरता (2011) (भारत का औसत = 73.0 प्रतिशत)[@]		66.1 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर ** 2015 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (भारत का औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म)			43
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा *** ((2011-15) भारत का औसत = 68.3 वर्ष)			67.9 वर्ष
8	गिनी गुणांक****			
	अ	ग्रामीण (भारत = 0.29)		0.23
	ब	शहरी (भारत = 0.38)		0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2016-17 चालू दर पर			₹ 7,49,692 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृत्ति वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2007-08 से 2016-17		राजस्थान	*14.4 प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी के राज्य	*13.2 प्रतिशत*
11	जीएसडीपी सीएजीआर (2007-08 से 2016-17)		राजस्थान	*16.2 प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी के राज्य[&]	*15.2 प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)		राजस्थान	*14.7 प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी के राज्य	*11.9 प्रतिशत*

ब. वित्तीय आंकड़े[$]

विवरण		सीएजीआर 2007-08 से 2015-16		सीएजीआर 2011-12 से 2015-16		वार्षिक वृद्धि 2015-16 से 2016-17	
		सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान
		(प्रतिशत में)					
(क)	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	15.91	13.96	15.16	11.52	8.72
(ख)	स्व-कर राजस्व का	14.80	15.73	12.85	13.90	13.50	3.88
(ग)	कर-भिन्न राजस्व का	9.45	13.20	11.54	4.47	12.10	6.29
(घ)	कुल व्यय का	15.84	20.96	15.83	27.75	15.31	(-) 4.70
(ड)	पूंजीगत व्यय का	14.53	16.33	19.03	32.57	17.91	(-) 22.77
(च)	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	18.51	12.84	16.16	9.86	16.12
(छ)	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	22.36	17.55	21.73	14.92	7.74
(ज)	वेतन एवं मजदूरी का	14.89	15.67	9.54	13.04	13.06	16.02
(झ)	पेंशन का	17.17	19.78	12.31	16.39	10.63	13.18

* आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 154

** आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 156

*** आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 146

**** गिनी-गुणांक http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

गिनी-गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का मापक है। मूल्य दर शून्य से एक है। शून्य के पास मूल्य होने पर असमानता कम होती है एवं शून्य से दूर होने पर असमानता अधिक होती है। (वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्ध अन्तिम आँकड़े लिये गये हैं)

$ *वित्तीय आंकड़ें राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।*

@ आर्थिक समीक्षा 2016-17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ अ 149

& 1 अगस्त 2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय द्वारा जारी जीएसडीपी विवरण में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर (बजट भाषण 2017-18), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों के 2016-17 के लिए आँकड़ें नहीं दिए गए है। अतः इनके लिए जीएसडीपी के आँकडें सम्बधित महालेखाकारों से प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखे की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के द्वारा लिये गये समस्त कर्ज, आन्तरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों की अदायगी हेतु प्राप्त समस्त राशि से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत गठित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा इसी के बराबर की राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमण्डल की अनुमति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, प्रावधायी निधियों, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण, इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियों एवं संवितरणों जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं है।

स्रोत: सरकारी लेखाकरण नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 2)

वित्त लेखों का खाका

वित्त लेखों को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया हैं जबकि विस्तृत विवरण खण्ड 2 में प्रस्तुत किये गये हैं।

विवरण संख्या	खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, 13 सारांशीकृत विवरण जैसा कि नीचे दिया गया है, लेखांकन की नीतियों के साथ लेखाओं से टिप्पणियां सम्मिलित है।	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2016-17 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संचयी आंकड़े।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियों और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित हैं, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये पुनर्भुगतान ऋण कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2016-17 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूंजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताऐं और ऋण सेवा सम्मिलित हैं, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जो और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों, इत्यादि का सारांश।
8	अंश पूँजी में राज्य सरकार के निवेशों का सारांश।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जो आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
11	वर्ष के दौरान हुए प्रभारित तथा दत्तमत व्ययों का वितरण।
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का सारांश लेखा।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश।
खण्ड 2 का भाग I: इस भाग में लघुशीर्षों द्वारा खण्ड I के विवरणों के अनुरूप विवरण दर्शाते हुए 9 विवरण है:	
14	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
15	आयोजना-भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना।

विवरण संख्या	खाका
16	आयोजना भिन्न और आयोजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष की राशियों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूंजीगत व्यय भी प्रदर्शित किये गये हैं।
17	लघुशीर्ष वार उधारों, सभी कर्जो के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जो और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2017 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
19	वर्ष 2016-17 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
20	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का समूहवार विस्तृत पत्र।
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
22	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
खण्ड 2 का भाग II: वित्त लेखे के भाग II में 12 परिशिष्टों में वेतन, अर्थ-सहाय्य, योजनावार एवं संस्था-वार सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार व्यय तथा राज्य की आयोजनागत योजनाएं इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया गया है।	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 18)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**66,913**	**74,471**	**91,327**	**1,00,285**	**1,09,026**
(i) कर राजस्व	30,503(46)	33,478(45)	38,673(42)	42,713(42)	44,372(41)
कृषि आय पर कर	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]	-[1]
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,575(61)	21,216(63)	24,170 (63)	26,345(62)	28,558(64)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,988(13)	4,982(15)	5,586(14)	6,713(16)	7,054(16)
वाहनों पर कर	2,283(7)	2,499(8)	2,830(7)	3,199(7)	3,623(8)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	3,335(11)	3,125(9)	3,189(8)	3,234(7)	3,053(7)
भू-राजस्व	304(1)	338(1)	289(1)	272(1)	315(1)
माल तथा यात्री कर	249(1)	288(1)	956(3)	848(2)	803(2)
अन्य कर	1,769(6)	1,030(3)	1,653(4)	2,102(5)	966(2)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	12,133(18)	13,575(18)	13,229(15)	10,928((11)	11,615(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	17,103(25)	18,673(25)	19,817(22)	27,916(28)	33,556(31)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	7,174(11)	8,745(12)	19,608(21)	18,728(19)	19,483(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8**	**10**	**15**	**25**	**28**
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,102**	**316**	**1,004**	**1,447**	**1,713**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**68,023**	**74,797**	**92,346**	**1,01,757**	**1,10,767**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**9,955**	**14,491**	**18,141**	**60,998**	**43,889**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,755(98)	14,232(98)	17,346(96)	59,249(97)	40,434(92)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	200 (2)	259(2)	795(4)	1,749(3)	3,455(8)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**77,978**	**89,288**	**1,10,487**	**1,62,755**	**1,54,656**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	**300**	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,56,563**	**1,07,978**	**1,26,382**	**1,46,910**	**1,56,045**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**2,34,541**	**1,97,266**	**2,37,169**	**3,09,665**	**3,10,701**
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**63,462**	**75,510**	**94,542**	**1,06,239**	**1,27,140**
आयोजना	14,235(22)	17,364(23)	27,444(29)	31,638(30)	47,482(37)
आयोजना-भिन्न	49,227(78)	58,146(77)	67,098(71)	74,601(70)	79,658(63)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	20,496(32)	23,340(31)	27,868(30)	31,016(29)	39,203(31)
सामाजिक सेवाऐं	25,293(40)	31,486(42)	37,754(40)	43,349(41)	49,372(39)
आर्थिक सेवाऐं	17,408(27)	20,435(27)	28,920(30)	31,874(30)	38,565(30)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	265(1)	249(-)	-[2]	-[2]	-[2]
11. पूँजीगत व्यय	**10,683**	**13,664**	**16,103**	**21,986**	**16,980**
आयोजना	10,682(100)	13,676(100)	16,087(100)	21,995(100)	16,968(100)
आयोजना-भिन्न	1	(-) 12	16	(-) 9	12
सामान्य सेवायें	249(2)	334(3)	534(3)	441(2)	437(2)
सामाजिक सेवाऐं	2,840(27)	4,551(33)	5,838(36)	5,996(27)	6,214(37)
आर्थिक सेवाऐं	7,594(71)	8,779(64)	9,731(61)	15,549(71)	10,329(61)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	**2,412**	**812**	**701**	**36,602**	**12,965**
13. कुल व्यय *(10+ 11+ 12)*	**76,557**	**89,986**	**1,11,346**	**1,64,827**	**1,57,085**
14. लोक ऋणों की अदायगी	**4,707**	**4,115**	**4,960**	**4,959**	**5,015**
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,239(90)	3,624(88)	4,451(90)	4,434(89)	4,441(89)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम	468(10)	491(12)	509(10)	525(11)	574(11)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**300**	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**81,264**	**94,101**	**1,16,606**	**1,69,786**	**1,62,100**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	**1,50,175**	**1,05,605**	**1,22,060**	**1,40,431**	**1,48,886**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**2,31,439**	**1,99,706**	**2,38,666**	**3,10,217**	**3,10,986**

[1] 2012-13 : ₹ 0.01 लाख, 2013-14: मात्र ₹ 24, 2014-15: ₹ 0.01 लाख, 2015-16: ₹ 0.01 लाख और 2016-17: मात्र ₹ 202

[2] 2014-15: ₹ 0.09 करोड़, 2015-16: ₹ 0.10 करोड़ और 2016-17: ₹ 0.06 करोड़।

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(+) 3,451**	**(-) 1,039**	**(-) 3,215**	**(-) 5,954**	**(-) 18,114**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 8,534**	**(-) 15,189**	**(-) 19,000**	**(-) 63,070**	**(-) 46,318**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 194**	**(-) 6,126**	**(-) 8,537**	**(-) 51,062**	**(-) 28,641**
भाग: घ अन्य आँकड़ें					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8,340	9,063	10,463	12,008	17,677
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	**16,218**	**18,763**	**28,329**	**31,725**	**32,892**
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
मार्गोपाय अग्रिम उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिन)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)@	**4,93,007∅**	**5,48,391∅**	**6,06,465∅**	**6,72,707∅**	**7,49,692▽**
28. बकाया राजकोषीय देयताऐं (वर्ष के अन्त में)	**1,17,809**	**1,29,910**	**1,47,609**	**2,09,386**	**2,55,002**
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	**75,546**	**85,911**	**94,578**	**53,620**	**51,159**
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	**1,13,340**	**1,40,526**	**1,61,918**	**1,61,236**	**1,18,161**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**166**	**219**	**199**	**169**	**197**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	**8,659**	**8,393**	**11,167**	**13,072**	**17,668**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधनों की गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.2	6.1	6.4	6.3	5.9
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	2.5	2.5	2.2	1.6	1.5
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	4.9	5.0	6.5	6.9	7.1
II. व्यय प्रबन्धन *(प्रतिशत में)*					
कुल व्यय/जीएसडीपी	15.5	16.4	18.4	24.5	21.0
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	114.4	120.8	121.9	164.4	144.1
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**82.9**	**83.9**	**84.9**	**64.5**	**80.9**
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**33.0**	**35.0**	**33.9**	**26.3**	**31.4**
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	**22.7**	**22.7**	**26.0**	**19.3**	**24.6**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**14.0**	**15.2**	**14.5**	**13.3**	**10.8**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**13.6**	**14.8**	**14.0**	**13.1**	**10.5**
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(+) 0.7	(-) 0.2	(-) 0.5	(-) 0.9	(-)2.4
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 1.7	(-) 2.8	(-) 3.1	(-) 9.4	(-) 6.2
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	0.0	(-) 1.1	(-) 1.4	(-) 7.6	(-) 3.8
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	6.8	16.9	9.4	39.1
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताऐं/जीएसडीपी	**23.9**	**23.7**	**24.3**	**31.1**	**34.0**
राजकोषीय देयताऐं/राजस्व प्राप्तियाँ	**176.1**	**174.4**	**161.6**	**208.8**	**233.9**
प्राथमिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ में)	**(+) 6,306**	**(-) 1,531**	**(-) 4,510**	**(-) 44,862**	**(-) 20,684**
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	**98.2**	**97.3**	**94.6**	**75.0**	**86.1**
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	**0.3**	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.2**
चालू राजस्व शेष (₹ करोड़ में)	**13,187**	**11,131**	**9,148**	**12,197**	**15,813**
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताऐं	**0.81**	**0.82**	**0.82**	**0.85**	**0.80**

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उपशीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

∅ संशोधित अनुमान

▽ अग्रिम अनुमान

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ अनुच्छेद 1.2 एवं 1.7.2; पृष्ठ 3 एवं 21)

वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**I. राजस्व व्यय**	**1,06,239.24**	**79,657.59**	**47,482.55**	**1,27,140.14**
कर राजस्व	42,712.92	44,371.66	**सामान्य सेवाऐं**	**31,016.27**	**38,115.46**	**1,087.80**	**39,203.26**
			सामाजिक सेवाऐं	**43,348.49**	**25,762.49**	**23,609.19**	**49,371.68**
कर-भिन्न राजस्व	10,927.87	11,615.57	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	21,096.95	14,118.40	10,379.81	24,498.21
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,182.23	3,517.29	4,220.54	7,737.83
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	27,915.93	33,555.86	जलापूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,698.39	4,943.50	2,462.76	7,406.26
			सूचना एवं प्रसारण	57.67	63.78	-	63.78
आयोजना-भिन्न अनुदान	5,240.97	5,927.84	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,017.91	167.03	933.42	1,100.45
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	12,957.47	13,461.63	श्रम तथा श्रम कल्याण	477.27	460.78	33.97	494.75
			समाज कल्याण तथा पोषण	7,767.38	2,454.71	5,548.32	8,003.03
			अन्य	50.69	37.00	30.37	67.37
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	529.96	93.44	**आर्थिक सेवाऐं**	**31,874.38**	**15,779.58**	**22,785.56**	**38,565.14**
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	4,020.68	1,603.04	3,536.93	5,139.97
			ग्रामीण विकास	12,197.74	3,201.11	7,938.70	11,139.81
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.71	-	1.36	1.36
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,812.61	1,867.90	73.91	1,941.81
			ऊर्जा	11,018.58	7,843.73	9,008.62	16,852.35
			उद्योग तथा खनिज	325.23	377.23	68.00	445.23
			परिवहन	1,506.25	772.12	913.59	1,685.71
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	37.86	5.89	35.50	41.39
			सामान्य आर्थिक सेवाऐं	954.72	108.56	1,208.95	1,317.51
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	**0.10**	**0.06**	**-**	**0.06**
योग	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**योग**	**1,06,239.24**	**79,657.59**	**47,482.55**	**1,27,140.14**
II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत किया गया राजस्व घाटा	**5,954.12**	**18,114.14**	**II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व अधिशेष**	**-**			
योग	**1,06,239.24**	**1,27,140.14**	**योग**	**1,06,239.24**	**79,657.59**	**47,482.55**	**1,27,140.14**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**8,949.28**	**8,397.27**	**III. प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक से**	-	-	-	-
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**24.34**	**27.84**	**IV. पूँजीगत परिव्यय**	**21,985.26**	**12.26**	**16,967.46**	**16,979.72**
			सामान्य सेवाऐं	**440.50**	**0.89**	**435.63**	**436.52**
			सामाजिक सेवाऐं	**5,995.63**	**10.98**	**6,203.31**	**6,214.29**
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	155.02	-	119.07	119.07
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	575.57	-	514.30	514.30
			जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	4,856.10	10.98	5,067.61	5,078.59
			सूचना एवं प्रसारण	1.46	-	1.93	1.93
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	269.03	-	303.28	303.28
			समाज कल्याण तथा पोषण	66.97	-	47.42	47.42
			अन्य	71.48	-	149.70	149.70
			आर्थिक सेवाऐं	**15,549.13**	**0.39**	**10,328.52**	**10,328.91**
			कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप	416.73	0.39	461.70	462.09
			ग्रामीण विकास	504.45	-	547.13	547.13
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	268.50	-	316.56	316.56
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,307.76	-	1,959.45	1,959.45
			ऊर्जा	9,433.90	-	4,115.71	4,115.71
			उद्योग तथा खनिज	78.89	-	9.27	9.27
			परिवहन	3,034.22	-	2,420.87	2,420.87
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.14	-	3.65	3.65
			सामान्य आर्थिक सेवाऐं	502.54	-	494.18	494.18
			योग	**21,985.26**	**12.26**	**16,967.46**	**16,979.72**
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,447.33**	**1,713.53**	**V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम**	**36,602.25**	99.99	12,865.46	**12,965.45**
विद्युत परियोजनाओं से	1,359.08	1,556.61	विद्युत परियोजनाओं के लिए	36,147.61	-	12,480.50	12,480.50
सरकारी कर्मचारियों से	0.02	0.13	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-
अन्य से	88.23	156.79	अन्य को	454.64	99.99	384.96	484.95
VI अद्योनीत राजस्व अधिशेष	-	-	**VI अद्योनीत राजस्व घाटा**	**5,954.12**	-	-	**18,114.14**

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजना-भिन्न	आयोजना	योग
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**60,998.17**	**43,888.85**	**VII लोक ऋण की वापस अदायगी**	**4,959.04**	-	-	**5,014.57**
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	59,249.28	40,433.50	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आन्तरिक ऋण	4,433.98	-	-	4,440.66
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	1,748.89	3,455.35	भारत सरकार को कर्जे तथा अग्रिम की वापस अदायगी	525.06	-	-	573.91
VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	**VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	-	-	-	-
IX आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	**IX आकस्मिक निधि से व्यय**	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,46,910.29**	**1,56,044.35**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**1,40,431.47**	-	-	**1,48,885.50**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	7,966.82	8,620.13	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	4,699.79	-	-	5,240.13
आरक्षित निधियाँ	3,677.76	3,067.86	आरक्षित निधियाँ	2,759.92	-	-	2,408.28
उचन्त तथा विविध	77.87	(-) 67.34	उचन्त तथा विविध	18.37	-	-	51.99
प्रेषण	9,617.17	131.63	प्रेषण	9,637.74	-	-	134.50
जमा तथा अग्रिम	1,25,570.67	1,44,292.07	जमा तथा अग्रिम	1,23,315.65	-	-	1,41,050.60
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट	-	-	**IX अन्त में नकद शेष**	**8,397.27**	-	-	**8,112.46**
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.29	-	-	0.12
			रिजर्व बैंक के पास जमा	488.99	-	-	(-) 2.28
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	4.22	-	-	4.06
			रोकड़ शेष निवेश	5,915.95	-	-	5,585.10
			चिन्हित निवेश निधियाँ	1,987.82	-	-	2,525.46
योग	**2,18,329.41**	**2,10,071.84**	**योग**	**2,18,329.41**	-	-	**2,10,071.84**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ अनुच्छेद 1.10.1; पृष्ठ 56)

31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31.03.2016 को	31.03.2017 को
आन्तरिक ऋण	**1,48,291.74**	**1,84,284.58**
बाजार से लिए गए ब्याज वाले कर्जें	75,192.86	89,517.63
बाजार से लिए गए बिना ब्याज वाले कर्जें	0.13	0.13
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जें	31.02	26.51
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	20,039.79	18,504.04
अन्य संस्थाओं से कर्जें	53,027.94	76,236.27
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केन्द्र सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	**8,257.93**	**11,139.37**
1984-85 से पूर्व के कर्जें	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्जें	38.69	33.64
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	8,209.27	11,095.76
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	0.29	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	4.28	4.28
आकस्मिकता निधि	**500.00**	**500.00**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	**35,514.45**	**38,894.45**
जमा राशियाँ	**15,820.93**	**19,060.56**
आरक्षित निधियाँ	**3,488.47**	**4,148.05**
प्रेषण शेष	-	-
योग	**2,11,873.52**	**2,58,027.01**
सम्पत्तियाँ	**31.03.2016 को**	**31.03.2017 को**
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय -	**1,30,932.21**	**1,47,884.09**[3]
कम्पनियों, निगमों इत्यादि का हिस्सा पूँजी में निवेश	37,417.62	41,733.94
अन्य पूँजीगत परिव्यय	93,514.59	1,06,150.15
कर्जें और अग्रिम	**39,855.28**	**51,107.20**
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्जें	37,348.46	48,272.34
अन्य विकासात्मक कर्जें	2,508.20	2,836.37
सरकारी कर्मचारियों को कर्जें तथा विविध कर्जें	(-) 1.38	(-) 1.51[4]
आरक्षित निधि विनियोजन	**1,987.82**	**2,525.46**
अग्रिम	**6.55**	**4.71**
प्रेषण शेष	**18.79**	**21.66**
उचन्त तथा विविध शेष	**3.21**	**122.54**
रोकड़	**6,409.45**	**5,587.00**
खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.29	0.12
रिजर्व बैंक के पास जमा	488.99	(-) 2.28
विभागीय रोकड़ शेष	1.11	1.13
स्थायी अग्रिम	3.11	2.93
रोकड़ शेष निवेश	5,915.95	5,585.10
सरकारी लेखे पर घाटा	**32,660.21**	**50,774.35**
(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	5954.12	18,114.14
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	26,706.09	32,660.21
कम करे: चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
कम करे: विविध घाटा	-	-
योग	**2,11,873.52**	**2,58,027.01**

[3] चालू वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी हैं क्योंकि वर्ष के अन्त तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 27.84 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) की प्रोफार्मा कमी की गयी है।

[4] ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यत: रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखे में घाटा, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाये आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ''रिजर्व बैंक के पास जमा'' के अंतर्गत सूचित किये आंकड़ों के मध्य ₹ 5.08 करोड़ (नामे) का अंतर था। अंतर राशि का अंकमिलान एवं शोधन कर लिया गया।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ अनुच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 8)

2016-17 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2	6 (4-3)	7	8
(1) राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**1,23,251**	**1,16,428**	**1,09,026**	**(-) 14,225**	**(-) 7,402**	**(-) 11.54**	**(-) 6.36**
(क) कर राजस्व	53,300	46,986	44,372	(-) 8,928	**(-) 2,614**	(-) 16.75	**(-) 5.56**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,515	28,995	28,558	(-) 5,957	**(-) 437**	(-) 17.26	**(-) 1.51**
राज्य उत्पाद शुल्क	7,310	7,600	7,054	(-) 256	**(-) 546**	(-) 3.50	**(-) 7.18**
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	50	10	07	(-) 43	**(-) 3**	(-) 86.00	**(-) 30.00**
वाहन कर	3,900	3,650	3,623	(-) 277	**(-) 27**	(-) 7.10	**(-) 0.74**
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	4,200	3,250	3,053	(-) 1,147	**(-) 197**	(-) 27.31	**(-) 6.06**
माल तथा यात्री कर	750	750	803	53	**53**	7.07	**7.07**
भू-राजस्व	400	359	315	(-) 85	**(-) 44**	(-) 21.25	**(-) 12.26**
विद्युत कर तथा शुल्क	2,000	2,172	738	(-) 1,262	**(-) 1,434**	(-) 63.10	**(-) 66.02**
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	175	200	221	46	**21**	26.29	**10.50**
(ख) कर-भिन्न राजस्व	**14,084**	**12,469**	**11,615**	**(-) 2,469**	**(-) 854**	**(-) 17.53**	**(-) 6.85**
ब्याज प्राप्तियाँ	1,779	2,003	1,933	154	(-) 70	8.66	**(-) 3.49**
विविध सामान्य सेवाऐं	1,279	859	661	(-) 618	(-) 198	(-) 48.32	**(-) 23.05**
जलापूर्ति तथा सफाई	650	600	547	(-) 103	(-) 53	(-) 15.85	**(-) 8.83**
पैट्रोलियम	3,500	2,750	2,332	(-) 1,168	(-)418	(-) 33.37	**(-) 15.20**
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,200	4,200	4,234	(-) 966	34	(-) 18.58	**0.81**
पुलिस	220	220	191	(-) 29	(-) 29	(-) 13.18	**(-) 13.18**
श्रम एवं रोजगार	269	362	355	86	(-) 7	31.97	**(-) 1.93**
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	110	116	125	15	9	13.64	**7.76**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	163	222	211	48	(-) 11	29.45	**(-) 4.95**
वानिकी एवं वन्य जीव	104	124	113	9	(-) 11	8.65	**(-) 8.87**
मुख्य सिंचाई	110	94	106	(-) 4	12	(-) 3.64	**12.77**
लोक निर्माण कार्य	82	95	84	2	(-) 11	2.44	**(-) 11.58**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	136	185	169	33	(-)16	24.26	**(-) 8.65**
लाभांश तथा लाभ	60	67	68	8	1	13.33	**1.49**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं	87	90	74	(-) 13	(-) 16	(-) 14.94	**(-) 17.78**
अन्य कर-भिन्न राजस्व	335	482	412	77	(-)70	22.99	**(-) 14.52**
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**31,478**	**33,556**	**33,556**	**2,078**	**0**	**6.60**	**0.00**
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	**24,389**	**23,417**	**19,483**	**(-) 4,906**	**(-) 3,934**	**(-) 20.12**	**(-) 16.80**
(2) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**10**	**20**	**28**	**18**	**8**	**180.00**	**40.00**
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियां	**133**	**1,743**	**1,713**	**1,580**	**(-) 30**	**1187.97**	**(-) 1.72**
(4) कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	**1,23,394**	**1,18,191**	**1,10,767**	**(-) 12,627**	**(-)7,424**	**(-)10.23**	**(-) 6.28**
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	**1,32,053**	**1,34,266**	**1,27,140**	**(-) 4,913**	**(-) 7,126**	**(-) 3.72**	**(-) 5.31**
(क) सामान्य सेवाऐं	**38,909**	**39,997**	**39,203**	**294**	**(-) 794**	**0.76**	**(-) 1.99**
न्याय प्रशासन	746	797	750	4	(-) 47	0.54	**(-) 5.90**
निर्वाचन	68	65	61	(-) 7	(-) 4	(-) 10.29	**(-) 6.15**
भू-राजस्व	893	683	641	(-) 252	(-) 42	(-) 28.22	**(-) 6.15**
राज्य उत्पाद शुल्क	138	141	131	(-) 7	(-) 10	(-) 5.07	**(-) 7.09**
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	697	1,238	1,234	537	(-) 4	77.04	**(-) 0.32**

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2	6 (4-3)	7	8
ब्याज अदायगियाँ	17,527	17,734	17,677	150	(-) 57	0.86	**(-) 0.32**
सचिवालय-सामान्य सेवायें	194	186	170	(-) 24	(-) 16	(-) 12.37	**(-) 8.60**
जिला प्रशासन	435	441	419	(-) 16	(-) 22	(-) 3.68	**(-) 4.99**
कोष तथा लेखा प्रशासन	215	210	200	(-) 15	(-) 10	(-) 6.98	**(-) 4.76**
पुलिस	4,360	4,563	4,436	76	(-) 127	1.74	**(-) 2.78**
जेल	147	148	142	(-) 5	(-) 6	(-) 3.40	**(-) 4.05**
अन्य प्रशासनिक सेवायें	213	244	228	15	(-) 16	7.04	**(-) 6.56**
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,493	12,688	12,296	(-) 197	(-) 392	(-) 1.58	**(-) 3.09**
विविध सामान्य सेवायें	413	281	281	(-) 132	0	(-) 31.96	**0.00**
मुद्रांक और पंजीयन	67	68	65	(-) 2	(-) 3	(-) 2.99	**(-) 4.41**
लोक निर्माण कार्य	15	165	152	137	(-) 13	913.33	**(-) 7.88**
अन्य	288	345	320	32	(-) 25	11.11	**(-) 7.25**
(ख) सामाजिक सेवाऐं	**49,550**	**51,826**	**49,372**	**(-) 178**	**(-) 2,454**	**(-) 0.36**	(-) 4.74
सामान्य शिक्षा	24,813	25,142	24,106	(-) 707	**(-) 1,036**	(-) 2.85	**(-) 4.12**
तकनीकी शिक्षा	151	196	187	36	**(-) 9**	23.84	**(-) 4.59**
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	128	115	100	(-) 28	**(-) 15**	(-) 21.88	**(-) 13.04**
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,701	5,632	5,454	(-) 247	**(-) 178**	(-) 4.33	**(-) 3.16**
परिवार कल्याण	2,575	2,296	2,284	(-) 291	**(-) 12**	(-) 11.30	**(-) 0.52**
जलापूर्ति तथा सफाई	2,517	2,849	2,625	108	**(-) 224**	4.29	**(-) 7.86**
शहरी विकास	4,533	5,161	4,693	160	**(-) 468**	3.53	**(-) 9.07**
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,366	1,411	1,100	(-) 266	**(-) 311**	(-) 19.47	**(-) 22.04**
श्रम तथा रोजगार	503	508	495	(-) 8	**(-) 13**	(-) 1.59	**(-) 2.56**
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,220	4,546	4,427	207	**(-) 119**	4.91	**(-) 2.62**
पोषण	1,573	1,482	1,421	(-) 152	**(-) 61**	(-) 9.66	**(-) 4.12**
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,168	2,157	2,155	987	**(-) 2**	84.50	**(-) 0.09**
अन्य	302	331	325	23	**(-) 6**	7.62	**(-) 1.81**
(ग) आर्थिक सेवाऐं	**43,594**	**42,443**	**38,565**	**(-) 5,029**	**(-) 3,878**	**(-) 11.54**	(-) 9.14
फसल कृषि-फर्म	3,282	2,968	2,656	(-) 626	**(-) 312**	(-) 19.07	**(-) 10.51**
पशुपालन	721	787	777	56	**(-) 10**	7.77	**(-) 1.27**
वानिकी एवं वन्य जीव	877	831	794	(-) 83	**(-) 37**	(-) 9.46	**(-) 4.45**
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	228	220	219	(-) 9	**(-) 1**	(-) 3.95	**(-) 0.45**
सहकारिता	634	652	609	(-) 25	**(-) 43**	(-) 3.94	**(-) 6.60**
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	1,397	1,068	835	(-) 562	**(-) 233**	(-) 40.23	**(-) 21.82**
ग्रामीण रोजगार	4,680	3,136	2,718	(-) 1,962	**(-) 418**	(-) 41.92	**(-) 13.33**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8,181	8,541	7,587	(-) 594	**(-) 954**	(-) 7.26	**(-) 11.17**
मुख्य सिंचाई	1,435	1,548	1,493	58	**(-) 55**	4.04	**(-) 3.55**
मध्यम सिंचाई	303	298	297	(-) 6	**(-) 1**	(-) 1.98	**(-) 0.34**
लघु सिंचाई	204	185	133	(-) 71	**(-)52**	(-) 34.80	**(-) 28.11**
विद्युत	17,847	18,271	16,842	(-) 1,005	**(-) 1,429**	(-) 5.63	**(-) 7.82**
नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा	29	9	9	(-) 20	**0**	(-) 68.97	**0.00**
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	346	345	329	(-) 17	**(-) 16**	(-) 4.91	**(-) 4.64**
सड़कें तथा पुल	1,352	1,538	1,407	55	**(-) 131**	4.07	**(-) 8.52**
सड़क परिवहन	322	383	279	(-) 43	**(-) 104**	(-) 13.35	**(-) 27.15**
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	234	298	294	60	**(-) 4**	25.64	**(-) 1.34**
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	603	428	403	(-) 200	**(-) 25**	(-) 33.17	**(-) 5.84**
नागरिक आपूर्ति	459	527	517	58	**(-) 10**	12.64	**(-) 1.90**
अन्य	460	410	367	(-) 93	**(-) 43**	(-) 20.22	**(-) 10.49**

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2	6 (4-3)	7	8
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	-[5]	-	-		-		
(6) पूँजीगत व्यय	**23,421**	**18,517**	**16,980**	**(-) 6,441**	**(-) 1,537**	**(-) 27.50**	**(-) 8.30**
पुलिस पर पूँजीगत व्यय	157	100	97	(-) 60	(-) 3	(-) 38.22	**(-) 3.00**
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय	628	418	322	(-) 306	(-) 96	(-) 48.73	**(-) 22.97**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	239	139	119	(-) 120	(-) 20	(-) 50.21	**(-) 14.39**
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	1,262	645	515	(-) 747	(-) 130	(-) 59.19	**(-) 20.16**
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत व्यय	5,442	4,626	4,194	(-) 1,248	(-) 432	(-) 22.93	**(-) 9.34**
शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय	1,768	1,098	877	(-) 891	(-) 221	(-) 50.40	**(-) 20.13**
अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	333	322	303	(-) 30	(-) 19	(-) 9.01	**(-) 5.90**
पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	95	40	39	(-) 56	(-) 1	(-) 58.95	**(-) 2.50**
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	337	185	150	(-) 187	(-) 35	(-) 55.49	**(-) 18.92**
फसल कृषि-फर्म पर पूंजीगत परिव्यय	534	264	254	(-) 280	(-) 10	(-) 52.43	**(-) 3.79**
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	114	193	174	60	(-) 19	52.63	**(-) 9.84**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	557	552	547	(-) 10	(-) 5	(-) 1.80	**(-) 0.91**
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	308	345	317	9	(-) 28	2.92	**(-) 8.12**
मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,470	1,237	1,195	(-) 275	(-) 42	(-) 18.71	**(-) 3.40**
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	80	110	110	30	0	37.50	**0.00**
लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	458	510	506	48	(-) 4	10.48	**(-) 0.78**
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	129	148	124	(-) 5	(-) 24	(-) 3.88	**(-) 16.22**
विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,165	4,322	4,116	(-) 49	(-) 206	(-) 1.18	**(-) 4.77**
पैट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	80	0	0	(-) 80	0	(-) 100.00	**0.00**
सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,264	2,498	2,421	(-) 1,843	(-) 77	(-) 43.22	**(-) 3.08**
सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	300	100	0	(-) 300	(-) 100	(-) 100.00	**(-) 100.00**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	420	492	467	47	(-) 25	11.19	**(-) 5.08**
अन्य पूँजीगत परिव्यय	281	173	133	(-) 148	(-) 40	(-) 52.67	**(-) 23.12**
(7) कर्जें तथा अग्रिमों का संवितरण	**11,067**	**13,059**	**12,965**	**1,898**	**(-) 94**	**17.15**	**(-) 0.72**
(8) कुल व्यय (5+6+7)	**1,66,541**	**1,65,842**	**1,57,085**	**(-) 9,456**	**(-) 8,757**	**(-) 5.68**	**(-) 5.28**
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	**(-) 8,802**	**(-) 17,838**	**(-) 18,114**	**(-) 9,312**	**(-) 276**		
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	**(-) 43,147**	**(-) 47,651**	**(-) 46,318**	**(-) 3,171**	**1,333**		
(11) प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज अदायगी)	**(-) 25,620**	**(-) 29,917**	**(-) 28,641**	**(-) 3,021**	**1,276**		

स्रोतः वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

[5] ₹ 33.76 लाख

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4.4; पृष्ठ 26)

भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे अन्तरण का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रयांश : राज्यांश)	कार्यकारी अभिकरण	2015-16	2016-17
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	4.89	4.59
कृषि विपणन की एकीकृत योजना	उपलब्ध नहीं	-	0.29
राष्ट्रीय ढ़ाँचागत कृषि तकनीकी आधारभूत	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	7.50	-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100 : 00)	राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	1.07	0.08
राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (सी एस)	राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण, राजस्थान राज्य बीज निगम	5.18	4.03
डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	राजस्थान सहकारी डेयरी संस्था लिमिटेड	2.30	9.02
वृहद् राजस्व उत्पादन परियोजनाओं को सहायता	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	-	3.27
आई एच एम एस, एफ सी आई एस आदि को सहायता	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान तथा खाद्य क्राफ्ट संस्थान	-	1.05
सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु क्षमता निर्माण	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान तथा खाद्य क्राफ्ट संस्थान	1.79	0.68
राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि अभियान	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	8.09	-
स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स का एकीकृत विकास	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	12.79	54.98
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	-	12.08
हस्तशिल्प ढ़ाँचागत एवं तकनीकी विकास योजना	उपलब्ध नहीं	0.36	-
मानव संसाधन विकास	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	1.80	4.85
एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना/एस पी पी	साँगानेर पर्यावरण परियोजना विकास	27.82	27.50
तकनीक उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	उपलब्ध नहीं	1.35	-
कला एवं संस्कृति तथा शताब्दी उत्सव योजना; अन्य मिशन, योजनाएं तथा स्वायत संगठनबद्ध	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान विश्वविद्यालय	6.80	4.00
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	8.85	8.95
अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्ध/ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	-	3.63
कला संस्कृति विकास योजना	रविन्द्र मंच, शहरी सुधार न्यास	-	8.95
संग्रहालय	पुरातत्व तथा संग्रहालय	1.03	-
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी	राजस्थान राज्य भारत स्काऊट एवं गाइड	-	2.22
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	उपलब्ध नहीं	26.32	-
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु ढ़ाँचागत विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	1.59	1.25

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रयांश : राज्यांश)	कार्यकारी अभिकरण	2015-16	2016-17
अस्पताल तथा औषधालय	पुलिस विज्ञान तथा प्रबन्धन विकास केन्द्र	1.59	-
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीओ)	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	-	33.95
राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन (100: 00)	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड	4.56	-
राष्ट्रीय आपदाओं तथा महामारी के प्रबन्धन हेतु प्रयोगशालाओं की राष्ट्रव्यापी स्तर पर स्थापना	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	3.47	2.24
सांविधिक संस्थानों की सहायता	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, वन विकास अभिकरण	-	4.94
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय विज्ञान के अग्रणीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्रों का सृजन	राजस्थान विश्वविद्यालय	0.50	-
राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार हेतु प्रोत्साहन मय डिजाईन नवाचार केन्द्रों की स्थापना, डिजाईन खुला विद्यालय एवं राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार नेटवर्क	प्रौद्योगिकी परिवर्तनीय केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय	2.66	-
राष्ट्रीय शिक्षक तथा प्रशिक्षण मिशन	उपलब्ध नहीं	2.58	-
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	3.03	-
उद्यमिता और कौशल विकास	विश्वविद्यालय	-	1.50
ढ़ाँचागत विकास तथा क्षमता निर्माण	राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम	0.26	3.96
प्रौद्योगिकी सहायक संस्थाओं तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता	उपलब्ध नहीं	3.28	-
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड	-	23.95
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना संस्थाऐं	2.23	1.33
राष्ट्रीय न्याय के लिए कानूनी सुधार मिशन	राजस्थान उच्च न्यायलय	-	23.04
अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण तथा संबद्ध योजनाऐं	उपलब्ध नहीं	1.18	-
कौशल विकास प्रोत्साहन	उपलब्ध नहीं	2.12	-
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद	-	1.02
ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा एमएनआरई	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम तथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम	40.56	14.87
वितरित और विकेन्द्रीकृत ऑफ ग्रिड अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स तथा उपकरण लिमिटेड, राजस्थान बागवानी विकास समिति, सौर परियोजना और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	207.97	70.73
सभी गांवों के ग्रामीण आवेदकों के लिए अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.58	-
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	4.48	22.27

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना (केन्द्रयांश : राज्यांश)	कार्यकारी अभिकरण	2015-16	2016-17
पंचायतों को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	-	1.67
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम	-	1.41
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (100:00)	जिलाधिकारी	135.00	177.50
सांख्यिकी सशक्तीकरण के लिए सहायता	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	5.04
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	-	20.00
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबन्धन सहायता और कार्यक्रमों की एवज में जिला योजना सुदृढीकरण कार्यक्रम	इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र	-	2.27
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	राज्य रोजगार गारन्टी निधि	18.94	3,174.30
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (सी एस)	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	3.41	11.24
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	1.70	-
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत (सी एस)	राज्य संसाधन केन्द्र आरएईए	-	5.81
प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	राज्य संसाधन केन्द्र आरएईए	2.41	-
सहयोग तथा आर एण्ड डी मिशन	शैक्षणिक संस्थान	3.78	1.70
वैज्ञानिक महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	3.99	0.29
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एस एण्ड टी	उपलब्ध नहीं	1.01	-
अनुसंधान एवं विकास सहयोग एसईआरसी	शैक्षणिक संस्थान	2.94	0.94
सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	1.29	0.22
राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	3.10	1.61
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शैक्षणिक संस्थान	7.22	0.14
क्रय/फीटिंग हेतु नि:शक्त जन को सहायता	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति	1.00	-
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	3.30	-
दीनदयाल पुनर्वास केन्द्र	उपलब्ध नहीं	1.39	-
सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	उपलब्ध नहीं	1.76	-
राज्य मेरूदण्ड चोट केन्द्रों की स्थापना	सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय	0.50	1.83
विरासत नगरों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	नगर निगम, अजमेर	1.14	18.13
तस्करी प्रतिरोधक हेतु व्यापक योजना	उपलब्ध नहीं	1.07	-
खेलों के विकास हेतु खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद्, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय	-	6.73
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ	-	4.42
राजीव गांधी खेल अभियान	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	3.31	-
शहरी खेलकूद ढ़ाँचागत योजना	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	5.40	-
एक करोड़ से कम की योजनाऐं (विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन)		11.23	9.24
योग		**615.47**	**3,799.71**

स्रोत: वित्त लेखे, सीजीए पोर्टल वेबसाइट

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 46)

वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य एवं मध्यम सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31 मार्च 2017 तक पूँजीगत परिव्यय	राजस्व प्राप्ति	कार्य एवं रखरखाव व्यय	कार्य एवं रखरखाव व्यय के पश्चात् शुद्ध हानि	प्रत्यक्ष पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज भुगतान पश्चात् शुद्ध हानि
1	2	3	4	5	5-4= 6	7	6+7=8
	मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं						
1	भाँखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	7,491.13	1,304.25	4,821.95	3,517.70	680.14	4,197.84
2	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा विभाग)	60,190.64	939.48	2,283.58	1,344.10	5,131.22	6,475.32
3	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	5,08,262.09	2,600.41	18,345.14	15,744.73	49,221.20	64,965.93
4	गुड़गांव नहर	4,658.47	1.12	147.29	146.17	462.77	608.94
5	जाखम परियोजना	14,190.08	19.64	299.91	280.27	1,395.54	1,675.81
6	गंग नहर	65,887.34	892.91	2,468.87	1,575.96	6,466.14	8,042.10
	मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं						
7	जवाई नदी परियोजना सेई विपथन योजना	709.57	153.65	129.04	(-) 24.61	69.74	45.13
8	मेजा परियोजना	4,553.44	10.38	185.91	175.53	454.37	629.90
9	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	7,106.84	1.06	397.87	396.81	702.18	1,098.99
10	गुढ़ा परियोजना	163.49	4.85	87.31	82.46	16.33	98.79
11	मोरेल परियोजना	235.83	2.34	82.15	79.81	23.55	103.36
12	अलनिया परियोजना	195.97	6.12	142.61	136.49	19.51	156.00
13	पश्चिमी बनास परियोजना	67.03	6.26	18.65	12.39	6.70	19.09
14	बल्लभनगर परियोजना	86.37	-	40.36	40.36	8.64	49.00
15	बढ़गांव पाल परियोजना	76.02	-	22.95	22.95	7.60	30.55
16	औरई सिंचाई परियोजना	63.42	0.01	47.27	47.26	6.34	53.60
17	बैगन विपथन योजना	1,397.26	0.30	68.52	68.22	139.66	207.88
	योग	**6,75,334.99**	**5,942.78**	**29,589.38**	**23,646.60**	**64,811.63**	**88,458.23**

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.4; पृष्ठ 51)

विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	औसत सरकारी पूँजी	मुल्य ह्रासित लागत पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान प्रावधित मूल्य ह्रास	टर्न ओवर	निवल लाभ (+)/हानि (-)	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (7+8)	पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत[6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	3.07	1.24	0.14	9.75	(-) 3.86	1.92	(-) 1.94	(-) 9.12
जेल विनिर्माण, अलवर	2015-16	0.16	0.09	0.00	6.27	(-)4.64	-	(-) 4.64	(-) 6.21
जेल विनिर्माण, बीकानेर	2015-16	8.88	0.07	0.00	11.92	(-) 4.53	2.49	(-) 2.04	(-) 8.68
जेल विनिर्माण, जयपुर	2014-15	7.56	4.68	0.49	115.34	(-) 9.45	-	(-) 9.45	-
जेल विनिर्माण, जोधपुर	2015-16	8.86	2.41	0.17	5.11	(-) 8.49	3.86	(-) 4.63	(-) 10.79
जेल विनिर्माण, कोटा	2015-16	1.49	0.34	0.04	19.27	(-) 5.94	-	(-) 5.94	(-) 15.80
जेल विनिर्माण, उदयपुर	2015-16	9.97	1.92	0.21	4.99	(-) 12.73	5.11	(-) 7.62	(-) 13.40
वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2015-16	210.59	0.92	0.75	3,238.53	(+) 1,483.23	-	(+) 1,483.23	-
पत्ता तेन्दू योजना	2015-16	5,508.41	5.92	0.23	697.53	(+) 457.25	-	(+) 457.25	-
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर	2015-16	16,55,391.20	3,33,871.17	12,883.01	28,469.42	(-) 1,23,736.66	23,471.30	(-) 1,00,265.36	(-) 33.47
योग		**16,61,150.19**	**3,33,888.76**	**12,885.04**	**32,578.13**	**(-) 1,21,845.82**	**23,484.68**	**(-) 98,361.14**	

[6] वह पूंजी काम में ली गई है, जिस पर ब्याज की गणना की गयी है।

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 53)

कर्जदाताओं द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कर्जदाता का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-17 के दौरान अग्रिम	2003-17 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2017 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को उधार-प्रत्यक्ष उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	0.02	2.24
5	6235-02-800 (01)	दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	0.53	5.81
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अभिकरणों के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800(05)	मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से वन श्रम सहकारी समितियों को उधार	0.42	-	0.17	0.25
11	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	153.22	-	1,740.75
12	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
13	6403-102 (02)	सघन पशुधन विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
14	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
15	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
16	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
17	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
18	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास एजेन्सी को उधार	0.33	-	-	0.33
19	6408-02-800(04)	परिवहन वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
20	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी सशक्तिकरण निधि की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
21	6705-800(01)	मृदा संरक्षण	9.47	-	-	9.47

(₹लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कर्जदाता का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003–17 के दौरान अग्रिम	2003–17 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2017 को अन्तिम शेष
22	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
23	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
24	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
25	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
26	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
महायोग			**6,488.29**	**191.89**	**(-) 54.54**	**6,734.72**

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.11

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 36)

भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्यौरा

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थान को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1	कृषि विस्तार सहित कृषि	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14	विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सहित	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	विकलांगों और मानसिक विमंदित लोगों के कल्याण सहित समाज कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29	सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत: *पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं*

* हस्तांतरित लेकिन अस्थाई रूप से वापस लिए

पंचायती राज विभाग द्वारा 13.09.2017 को दी गई सूचना एवं अनुलग्नक के आधार पर जिसके अनुसार यह 18.05.2012 की स्थिति के अनुरूप ही है।

परिशिष्ट 1.12

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 38)

भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण

अ.	शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण हस्तांतरित कार्य
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	गन्दी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म - मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एवं पुल
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशमन सेवाऐं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का विकास/उन्नयन
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एंव मानसिक विमन्दित लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब.	**कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने है**
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट 1.13

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.3; पृष्ठ 50)

निवेश, जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹लाख में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अन्तिम निवेश का वर्ष	निवेशित राशि	से लेखे प्रतिक्षित	टिप्पणी
	सांविधिक निगम				
1	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	0.65	-	निगम नहीं बनाया गया और राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रखी हुई है।
2	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1980-81 तक	0.08	-	राजस्थान सरकार द्वारा निगम को बंद करने के निर्णय के कारण ₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल 1980 में जमा करा दिये गये।
	संयुक्त पूंजी कम्पनियां				
3	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाईमाधोपुर	1948-49	75.00	1985-86	
4	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	3.66	30 जून 1985	
5	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	1.00	31 दिसम्बर 1985	
6	जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	7.50	1996-97	
7	मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	25.00		लेखे प्रतिक्षित है।
8	बूंदी विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	0.12	-	कम्पनी वर्ष 1965-66 से परिसमापनाधीन है।
9	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	0.10	-	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
10	स्टोनवेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	सूचना जयपुर रियासत के समामेलन से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है ।	0.12	-	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
11	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	1.30	-	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
12	आबू रोड़ इलैक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड़	1945-46	1.25	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा वर्ष 1975-76 के दौरान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।
13	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	2.00	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
14	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	1943-44	17.46	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
15	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	0.10	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
16	दी चपरमुख सिलीघाट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	0.06	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
	योग		**135.40**		

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.14

(संदर्भ अनुच्छेद 1.9.3; पृष्ठ 51)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकरण किया गया	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2016-17 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर	2016-17	2017-18	7.59	117.19	-	6.33
2	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.00	(-)0.01	(-)0.01	-
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	6.96	(-)17.29	(-)10.33	6.64
4	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	46.06	(-)45.53	-	45.51
5	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेंवाऐं निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	90.00	11.26	-	90.00
6	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.50	(-)0.30	-	1.00
7	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	210.19	1,560.05	-	193.69
8	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	100.00	93.34	-	100.00
9	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	48.67	20.60	-	33.51
10	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	20.00	(-)26.33	(-)6.33	-
11	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	2.00	32.59	-	2.00
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2016-17	2017-18	181.20	96.27	-	181.18
13	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2016-17	2017-18	34.02	(-)1.29	-	-
14	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2015-16	2016-17	77.55	1,870.37	-	77.56
15	राजस्थान राज्य पैट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	11.10	(-)0.82	-	-
16	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	7,854.85	(-)30,684.44	(-)22,829.59	7,854.85

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकरण किया गया	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2016–17 के अनुसार)
17	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)9.09	(-)9.04	-
18	बाड़मेर पावर ट्रांसमिशन सेवा लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.01	-	-
19	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)13.54	(-)13.49	-
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.03	-	-
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.04	-	-
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	370.05	(-)699.19	(-)329.14	-
23	हाड़ौती पावर ट्रांसमिशन सेवा (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.01	-	-
24	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	8,463.06	(-)32,909.75	(-)24,446.69	8,463.06
25	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	7,829.04	(-)31,042.87	(-)23,213.83	7,829.04
26	केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)2.03	(-)1.98	-
27	लेक सिटी ट्रांसमिशन सेवा कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.30	(-)0.30	0.00	-
28	पिंक सिटी ट्रांसमिशन सेवा कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.26	(-)0.26	0.00	-
29	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	4,020.72	(-)1,300.04	-	4,020.72
30	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	9,425.17	(-)4,792.80	-	9,425.17
31	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	12.94	148.77	-	12.94
32	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	66.29	-	-
33	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	50.00	0.00	-	50.00
34	थार पावर ट्रांसमिशन सेवा लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	0.05	(-)0.01	-	-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकरण किया गया	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2016–17 के अनुसार)
35	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1,694.04	(-)180.25	-	1,494.04
36	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	46.79	-	5.00
37	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	5.74	-	5.00
38	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	19.22	-	5.00
39	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2016-17	2017-18	0.05	(-)8.00	(-)7.95	0.05
40	राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	50.00	32.88	-	50.00
41	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	2.16	(-)8.51	(-)6.35	2.16
42	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	21.95	(-)125.06	(-)103.11	21.95
43	राजस्थान वित्त निगम	2016-17	2017-18	160.73	(-)122.85	-	128.31
44	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	2016-17	638.96	(-)3,469.51	(-)2,830.55	612.13
45	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2016-17	2017-18	7.85	158.67	-	3.93
46	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	6.01	(-)53.21	(-)47.20	4.13
47	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	4.49	(-)6.32	(-)1.83	4.49
48	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.27	(-)2.09	(-)0.82	1.27
	योग			**41,465.19**	**(-)1,01,241.75**	**(-)73,858.24**	**40,730.66**

परिशिष्ट 1.15

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7.3.4; पृष्ठ 34, अनुच्छेद 1.9.5; पृष्ठ 53)

पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार द्वारा दी गई कुल अर्थ-सहाय्य (₹ **करोड़ में**)	3,105	1,435	1,493	2,001	3,200	5,464	6,940	8,626	10,461	17,208
ऊर्जा क्षेत्र को सरकार द्वारा दी गई अर्थ-सहाय्य (₹ **करोड़ में**)	3,035	1,383	1,452	1,946	2,800	4,861	6,460	8,330	10,186	16,842
कुल अर्थ-सहाय्य का ऊर्जा क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य (प्रतिशत में)	97.7	96.4	97.3	97.3	87.5	89.0	93.1	96.6	97.4	97.9
विद्युत वितरण कम्पनियों की राजस्व अर्थ-सहाय्य/वित्तीय प्राप्तियाँ (₹ **करोड़ में**)	1,246.1	1,092.7	1,110.4	1,200.7	1,759.9	2,246.7	621.8	1,647.7	1,784.1	1,388.7
निवल घाटा (₹ **करोड़ में**)	2,555.4	6,773.7	10,763.5	10,606.3	12,443.7	12,351.2	15,645	12,473.6	11,240.8	5,207.5
संचयी घाटा (₹ **करोड़ में**)	8,859.7	16,543.4	26,406.6	37,013.2	49,456.9	61,808.1	77,453.2	89,926.7	1,01,167.5	1,03,540.1
वितरण हानि (प्रतिशत में)	31.40	26.59	26.11	22.30	19.60	19.23	24.05	27.22	24.58	23.37
प्रसारण एवं वितरण हानि (प्रतिशत में)	35.52	31.38	30.95	26.73	24.27	23.76	27.32	31.27	31.30	27.26

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 76)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	टिप्पणियाँ
राजस्व-दत्तमत								
1.	20	आवास	2216-आवास 05-साधारण पूल आवास 053-रखरखाव तथा मरम्मत 01-सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) 11-मुख्य शीर्ष 2059 के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय	10.94	16.93	5.99	54.8	आधिक्य
2.	21	सड़कें एवं पुल	3054-सडक तथा सेतु 80- सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 01- मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय 01-स्थापना	49.82	66.91	17.09	34.3	बचत
3.	46	सिंचाई	2700- मुख्य सिंचाई 01-भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रखरखाव एवं मरम्मत 01- भाखरा नांगल द्वारा व्यय 02-अन्य रखरखाव व्यय	2.00	3.38	1.38	69.0	बचत
4.			2700- मुख्य सिंचाई 02-चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 03-अन्य व्यय	-	51.31	51.31		
5.			2700- मुख्य सिंचाई 03-व्यास परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-सिंचाई परियोजना (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय) 01-सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	-	70.97	70.97		

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 76)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2017	मार्च 2017
1.	9-वन	2406-01-102-25 बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-।।	51.35	15.92	121.85	42.1	13.1
2.		4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य	56.58	44.52	71.47	79.2	62.3
3.	10-विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 शीर्ष 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण	278.19	278.19	278.19	100	100
4.	12-अन्य कर	3055-190-03 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसो में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण हेतु सहायतार्थ अनुदान	64.92	35.65	184.33	35.2	19.3
5.	19-लोक निर्माण कार्य	4250-203-02 प्रशिक्षण	63.84	18.22	68.42	93.3	26.6
6.	21-सडके एवं पुल	3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	101.68	76.70	189.63	53.6	40.4
7.		5054-03-337-05 केन्द्रीय सडक निधि से पोषित सडकें	241.57	137.41	485.80	49.7	28.3
8.		5054-04-800-11 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें	114.28	75.98	310.37	36.8	24.5
9.		5054-04-800-22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	406.50	181.22	632.99	64.2	28.6
10.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-01 सामान्य व्यय	107.47	53.94	140.22	76.6	38.5
11.		2202-01-800-14 शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयो को पुनर्भरण-सामान्य व्यय	51.95	14.07	138.06	37.6	10.2
12.		2202-02-109-09 मॉडल स्कूल	149.02	67.16	243.43	61.2	27.6
13.		2202-02-109-18 आई.सी.टी.	90.03	90.03	90.03	100	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
14.		2202-03-103-11 *राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान–सामान्य व्यय*	80.60	80.60	80.60	100	100
15.	26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2211-105-03 जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय	60.45	30.61	126.53	47.8	24.2
16.	27–पेयजल योजना	2215-01-101-12 अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं	165.28	86.11	514.56	32.1	16.7
17.		2215-01-102-01 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	377.05	189.94	1186.33	31.8	16.0
18.		4215-01-102-01 त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना	120.05	68.92	274.56	43.7	25.1
19.		4215-01-102-03 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	146.91	98.44	468.62	31.3	21.0
20.		4215-01-102-45 नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना चरण–।। (ईएपी)	75.25	32.91	228.38	32.9	14.4
21.	28–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-06 *मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान*	118.60	117.29	268.69	44.1	43.7
22.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	309.60	309.60	720.80	43.0	43.0
23.		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	172.83	87.69	172.83	100	50.7
24.		2217-80-191-35 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	104.11	18.43	189.79	54.9	9.7
25.		2217-80-192-37 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	372.75	158.57	586.94	63.5	27.0
26.		2217-80-800-08 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	57.58	57.49	60.58	95.0	94.9
27.		4217-03-800-03 जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	71.66	19.33	71.66	100	27.0
28.		4217-60-050-04 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आर.यू.आई. डी.पी., तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	56.77	42.45	106.10	53.5	40.0
29.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	2211-796-02 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	65.90	58.59	215.40	30.6	27.2
30.		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	86.86	45.09	86.86	100	51.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
31.		2401-796-28 फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रीयांश)	110.92	110.92	157.57	70.4	70.4
32.		2505-02-101-01 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	88.89	48.00	268.54	33.1	17.9
33.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)	51.83	38.99	72.18	71.8	54.0
34.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	137.40	137.40	270.66	50.8	50.8
35.		4215-01-796-01 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	187.31	122.05	443.55	42.2	27.5
36.		4215-01-796-02 शहरी जलापूर्ति योजनाएं	51.27	26.29	104.44	49.1	25.2
37.		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाऐं (एससीए)	83.87	48.16	85.90	97.6	56.1
38.		4801-80-796-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	51.07	42.41	103.05	49.6	41.2
39.		5054-03-796-07 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	55.93	27.74	91.44	61.2	30.3
40.		5054-04-796-16 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	139.27	139.27	139.27	100	100
41.		5475-796-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	58.12	53.09	61.61	94.3	86.2
42.	32-नागरिक आपूर्ति	3456-102-07 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	104.96	72.32	284.11	36.9	25.5
43.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2236-02-101-01 समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा	204.42	116.17	344.45	59.3	33.7
44.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-02 सड़कों की मरम्मत तथा पुन:स्थापना	66.86	66.86	66.19	101.0	101.0
45.		2245-05-101 आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अंतरण–राज्य आपदा मोचन निधि	2148.82	1490.64	2148.82	100.0	69.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
46.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454-02-203-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	87.98	53.64	160.69	54.8	33.4
47.		5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	198.25	165.08	244.88	81.0	67.4
48.	36- सहकारिता	2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियो को ब्याज अनुदान	130.63	130.63	244.89	53.3	53.3
49.	37- कृषि	2401-110-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	465.84	465.84	665.84	70.0	70.0
50.		2401-119-36 सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	79.03	48.32	118.43	66.7	40.8
51.		2401-196-06 जिला स्तरीय कृषि योजनाएं	155.97	94.55	197.60	78.9	47.8
52.		2401-800-27 *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* (वि.के.स.)	135.12	83.46	281.92	47.9	29.6
53.		4401-800-02 कृषि विभाग के अभिकरण से	51.82	19.12	61.77	83.9	31.0
54.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-102-20 गोपालन विभाग	63.75	53.19	66.22	96.3	80.3
55.		2403-797-01 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि	103.84	103.84	103.84	100	100
56.	41- सामुदायिक विकास	2515-196-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)	67.58	45.69	89.83	75.2	50.9
57.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	256.54	191.17	359.33	71.4	53.2
58.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	669.31	669.31	1347.48	49.7	49.7
59.	42- उद्योग	2040-800-04 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (उद्योग विभाग)	51.31	22.27	163.39	31.4	13.6
60.	46-सिंचाई	4700-32-001-01 निदेशन तथा प्रशासन	145.81	145.79	472.46	30.9	30.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी–मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2017	मार्च 2017
61.		4702-101-09 लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)	61.40	54.98	165.09	37.2	33.3
62.	48- विद्युत	2801-80-190-36 विद्युत दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान	2,423.07	1823.07	7,823.07	31.0	23.3
63.		4801-80-190-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	222.65	190.89	413.23	53.9	46.2
64.		4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश	60.54	21.82	107.01	56.6	20.4
65.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	114.80	59.54	114.80	100	51.9
66.		2401-789-01 कृषि विभाग के माध्यम से	184.82	183.03	240.67	76.8	76.1
67.		2505-02-101-01 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	122.22	66.00	368.71	33.1	17.9
68.		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	66.78	49.84	93.44	71.5	53.3
69.		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	174.69	174.69	350.40	49.9	49.9
70.		4215-01-789-01 अनुसूचित जाति क्षेत्र मे जलपूर्ति	255.50	133.48	590.57	43.3	22.6
71.		4215-01-789-02 अनुसूचित जाति क्षेत्र मे जलापूर्ति (शहरी)	68.98	34.04	145.67	47.4	23.4
72.		4801-80-789-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	73.85	56.53	177.80	41.5	31.8
73.		5054-03-789-07 केन्द्रीय सडक निधि से पोषित सड़कें	81.50	35.50	125.46	65.0	28.3
74.		5054-04-789-13 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	169.74	169.74	169.74	100	100
75.		5475-789-01 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	120.30	113.62	128.70	93.5	88.3
योग			**14,624.19**	**10,590.05**	**28,548.73**	**51.2**	**37.1**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 82)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण-पत्र जहाँ बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत					
1.	8	राजस्व	854.81	201.72	23.6
2.	10	विविध सामान्य सेवाऐं	412.83	131.52	31.9
3.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	949.64	208.23	21.9
4.	35	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	420.52	147.19	35.0
5.	50	ग्रामीण रोजगार	2,506.38	1,006.53	40.2
पूँजीगत-दत्तमत					
6.	11	विविध सामाजिक सेवाऐं	34.54	25.96	75.2
7.	12	अन्य कर	301.00	201.00	66.8
8.	19	लोक निर्माण कार्य	1,617.69	898.17	55.5
9.	21	सड़कें एवं पुल	3,466.39	1,263.41	36.4
10.	23	श्रम एवं रोजगार	51.33	25.73	50.1
11.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	46.15	22.99	49.8
12.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	352.96	180.46	51.1
13.	27	पेयजल योजना	3,876.33	896.22	23.1
14.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,742.68	783.23	44.9
15.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	204.32	57.85	28.3
16.	37	कृषि	588.97	356.42	60.5
17.	43	खनिज	166.00	155.47	93.7
18.	47	पर्यटन	49.12	28.04	57.1
		योग	**17,641.66**	**6,590.14**	**37.4**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 82)

विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र जहाँ वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
	राजस्व-दत्तमत						
1.	11- विविध सामाजिक सेवाऐं	2014-15	113.73	71.26	42.47	37.3	आयोजना सीमा में कटौती, चुनाव आचार संहिता के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियाँ जारी नहीं करना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहे।
		2015-16	101.05	66.93	34.12	33.8	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का स्वायत्त शासन विभाग को अंतरण होना रहे।
		2016-17	100.77	81.81	18.96	18.8	पदों का रिक्त रहना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी की घोषणा नहीं किये जाने के कारण जल संसाधन विभाग को निधियों का अंतरण नही किया जाना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
2.	12- अन्य कर	2014-15	516.33	434.14	82.19	15.9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सुधार सम्बद्ध योजना के सम्पूर्ण नियम तथा शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण रहे।
		2015-16	482.00	343.99	138.01	28.6	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सुधार सम्बद्ध योजना के नियमों की अनुपालना नहीं किया जाना रहे।
		2016-17	514.12	433.87	80.25	15.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
3.	22-क्षेत्र का विकास	2014-15	24.11	18.13	5.98	24.8	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	21.43	17.43	4.00	18.7	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	21.41	18.21	3.20	14.9	पदों का रिक्त रहना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
4.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2014-15	594.70	310.30	284.40	47.8	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, भारत सरकार से 'समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम' हेतु द्वितीय किश्त एवं 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना रहे।
		2015-16	635.43	391.19	244.24	38.4	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना रहे।
		2016-17	949.64	741.41	208.23	21.9	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना तथा 'फॉर वाटर कंसेप्ट' योजना के लिए निधि का डाईवर्जन होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
5.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2014-15	2863.76	2298.24	565.52	19.7	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नही होना, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कम अनुदान जारी करना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	3,414.63	2,872.96	541.67	15.9	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	4,833.04	4,206.51	626.53	13.0	भारत सरकार से निधियाँ देरी से/कम प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, कार्य की धीमी प्रगति तथा अनुदान (गैर-वेतन) में कमी होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
6.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014-15	6,352.64	5,130.08	1,222.56	19.2	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नही होना, पदों का रिक्त रहना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना तथा आयोजना सीमा में कटौती होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	6,715.05	5507.54	1,207.51	18.0	भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, आयोजना सीमा में कटौती तथा पदों का रिक्त रहना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	9,113.00	7,378.93	1,734.07	19.0	प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में विलय के कारण कार्मिकों की पदोन्नति एवं पदों का स्थानान्तरण होने के बाद निचले स्तर पर पदों का रिक्त रहना, छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कम प्राप्त होना, भारत सरकार द्वारा निधियाँ कम/प्राप्त नही होना, निविदा प्रक्रिया में देरी, भारत सरकार से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम स्वीकृति जारी करना तथा भारत सरकार से योजना के लिए स्वीकृति कम/प्राप्त नही होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
7.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	2014-15	847.72	398.20	449.52	53.0	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नही होना। चुनाव आचार संहिता के कारण भामाशाह कार्ड बनाने एवं भामाशाह पंजीकरण पर चुनाव आचार संहिता के कारण कम व्यय होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	310.04	255.21	54.83	17.7	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नही किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2016-17	420.52	273.33	147.19	35.0	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, भामाशाह योजना कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
	पूँजीगत-दत्तमत						
8.	9- वन	2014-15	223.41	134.92	88.49	39.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	143.82	129.42	14.40	10.0	स्वीकृति देरी से जारी करना, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट का अनुमोदन नही होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	132.06	118.86	13.20	10.0	कार्यों का कम निष्पादन तथा आयोजना सीमा में कटौती, कार्यों के भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नही किया गया क्योंकि नाबार्ड-तृतीय चरण का कार्य केवल मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत चयनित गाँवों में ही किया जाना था तथा चयनित गाँवों में कार्यों के लिए भूमि की अनुपलब्धता होना तथा विशेष बाघ संरक्षण बल के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए भारत सरकार से स्वीकृतियाँ देरी से प्राप्त होना रहे।
9.	11- विविध सामाजिक सेवाऐं	2014-15	23.15	6.86	16.29	70.4	नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब तथा पीडीकोर लिमिटेड द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार का चयन न करने के कारण 32 मंदिरों हेतु कार्यों का निष्पादन न होना रहे।
		2015-16	38.76	9.15	29.61	76.4	19 बकाया कार्यों का धीमा निष्पादन, ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं होने से ट्रस्ट द्वारा संचालित 8 मंदिरों की स्वीकृति जारी न होना, ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट में देरी के कारण 6 कार्यों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होना, संशोधित प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण धर्मशालाओं तथा सहायक आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण का भुगतान न होना तथा भूमि विवाद एवं भूमि अतिक्रमण के कारण कोटा तथा उदयपुर में सहायक आयुक्त कार्यालय भवन की चारदीवारी का कार्य शुरू न होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	34.54	8.58	25.96	75.2	आयोजना सीमा में कटौती होना रहे।
10.	12- अन्य कर	2014-15	374.78	74.78	300.00	80.0	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्थान पर बस अड्डा विकास प्राधिकरण के गठन के निर्णय के बाद सम्पत्तियों के हस्तांतरण की कार्यवाही की क्रियान्विति नही होना तथा वर्ष के दौरान प्रस्तावित प्राधिकरण का गठन न होना रहे।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2015-16	300.00	151.00	149.00	49.7	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सम्पत्तियाँ राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही का क्रियान्वयन न होना रहे।
		2016-17	301.00	100.00	201.00	66.8	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
11.	19- लोक निर्माण कार्य	2014-15	1,397.65	709.61	688.04	49.2	सार्वजनिक निर्माण विभाग पर कार्यभार की अधिकता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होना एवं कार्यों का कम निष्पादन का होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	1,142.22	823.09	319.13	27.9	मूल अनुमान की तुलना में कार्यों की धीमी प्रगति तथा कार्यों का कम निष्पादन होना रहे। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	1,617.69	719.52	898.17	55.5	कार्यो की धीमी प्रगति तथा कार्यो का कम निष्पादन होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
12.	20- आवास	2014-15	25.19	6.49	18.70	74.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	9.76	6.69	3.07	31.6	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	14.90	6.54	8.36	56.2	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
13.	21- सड़कें एवं पुल	2014-15	3,281.25	2,399.82	881.43	26.9	कार्यो का कम निष्पादन तथा कार्य के परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता प्रभार का समायोजन होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	2,980.92	2,375.42	605.50	20.3	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से नई स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, आयोजना सीमा में कटौती, राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कों के लिए नई स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना रहे।
		2016-17	3,466.39	2,202.98	1263.41	36.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
14.	22-क्षेत्र का विकास	2014-15	348.13	257.68	90.45	26.0	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा पदों का रिक्त रहना रहे। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	350.90	276.40	74.50	21.2	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, निर्माण कार्यों का कम निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत आरक्षित निधि के उपयोग के लिए जल स्वावलम्बन से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु जिलों से कम प्रस्ताव प्राप्त होना रहे।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
		2016-17	351.52	314.39	37.13	10.6	विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा पदों का रिक्त रहना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
15.	23- श्रम एवं रोजगार	2014-15	4.42	1.54	2.88	65.2	फर्मो द्वारा सम्पूर्ण आदेश की आपूर्ति न करना, फर्मो द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को निरस्त किया गया क्योंकि सामग्री की विशिष्टताऐं आपूर्ति आदेश के अनुसार नही थी तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. संविदा दर पर सामग्री उपलब्ध न होना रहे।
		2015-16	34.34	9.86	24.48	71.3	आयोजना सीमा में कटौती तथा फर्मो द्वारा सम्पूर्ण सामग्री की आंशिक/आपूर्ति न किया जाना रहे।
		2016-17	51.33	25.60	25.73	50.1	आयोजना सीमा में कटौती, फर्मो द्वारा सामग्री की पूर्ण/आंशिक आपूर्ति न करने, निविदा में कम दरों की प्राप्ति तथा बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण भुगतान बकाया रहना रहे।
16.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2014-15	346.25	223.28	122.97	35.5	कार्यो की धीमी प्रगति, 1,079 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नही करना, नाबार्ड द्वारा ऋणों के समक्ष कम राशि प्राप्त होना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नही होना रहे।
		2015-16	339.00	136.71	202.29	59.7	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करना।
		2016-17	352.96	172.50	180.46	51.1	अधीनस्थ कार्यालयों में नये भवन का निर्माण कार्य/अतिरिक्त कार्य कार्यकारिणी एजेंसी द्वारा निविदा की तकनीकी प्रक्रिया समय पर निष्पादित नही किया जाना, बजट भाषण में घोषित निर्माण कार्यो का निष्पादन नही होना, अन्य तकनीकी कारणों के कारण कार्य की धीमी प्रगति तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
17.	27- पेयजल योजना	2014-15	3,573.71	3,308.02	265.69	7.4	कार्यो की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण कार्यो की धीमी प्रगति, जल संसाधन विभागों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करना तथा निविदा प्रक्रिया में देरी होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	3,594.78	3,113.31	481.47	13.4	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	3,876.33	2,980.11	896.22	23.1	कार्यो का कम निष्पादन होना रहे। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
18.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2014-15	1,280.91	707.49	573.42	44.8	संविदाऐं निरस्त करने के कारण सीवरेज क्षेत्र में निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति, भूमि उपलब्धता में देरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल्वे क्रासिंग अनुमति में देरी रहना। पदों का रिक्त

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
							रहना, आयोजना सीमा के कटौती एवं निर्माण स्थल की भूमि में बदलाव करना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2015-16	959.30	636.71	322.59	33.6	स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना में भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, कार्यों की धीमी प्रगति रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नही किये गये।
		2016-17	1,742.68	959.45	783.23	44.9	कार्यो का निष्पादन कम/नही होना, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, पदों का रिक्त रहना, कार्यस्थल पर कार्यो की समाप्ति में रूकावट के कारण एशियन विकास बैंक के द्वारा द्वितीय चरण के विकास कार्यो की समय अवधि बढ़ाने तथा श्री गंगानगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ तथा भीलवाड़ा में विकास कार्यो की निविदाएँ प्रक्रियाहीन होना रहे।
19.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2014-15	301.82	45.84	255.98	84.8	भूमि आवंटन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति होना। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	250.11	106.05	144.06	57.6	कार्यों की धीमी प्रगति तथा कार्यों का कम निष्पादन रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	204.32	146.47	57.85	28.3	निर्माण कार्यो का निष्पादन कम/नही होना, कार्यो की धीमी प्रगति, वित्तीय संस्थानों से ऋणों की प्राप्ति न होना तथा संवेदकों से बिलों की प्राप्ति न होना।
20.	37- कृषि	2014-15	429.96	309.66	120.30	28.0	राज्य सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
		2015-16	283.25	147.64	135.61	47.9	कोषालय के माध्यम से पंचायत समितियों को 25 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में देरी क्योंकि पंचायती राज विभाग द्वारा समय पर पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से नाबार्ड द्वारा राशि जारी नहीं की गई, गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन में विलम्ब, बेमौसम वर्षा तथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाना रहे।
		2016-17	588.97	232.55	356.42	60.5	पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, भारत सरकार द्वारा संबंधित विभागों को उनके वर्तमान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सीधे निधियाँ जारी करना तथा निगम द्वारा निर्माण कार्यो का कम निष्पादन करना क्योंकि निगम को कार्यो के चरणबद्ध पूर्णता के अनुसार ऋण जारी किया जाना था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के मुख्य कारण
21.	43- खनिज	2014-15	103.56	(-)4.65	108.21	104.5	राज्य में रिफाईनरी की स्थापना हेतु एचपीसीएल के साथ किये गये एमओयू के अध्ययन हेतु बनाई गई समीक्षा समिति द्वारा निर्णय देने में देरी के परिणामस्वरूप एचपीसीएल-राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड को अंश पूँजी जारी नहीं करना रहे।
		2015-16	81.20	0.20	81.00	99.8	राज्य में योजना का कार्यान्वयन (रिफाइनरी की स्थापना) न किये जाने के परिणामस्वरूप मूल बजट में आवंटित निधि के समक्ष अंशपूजी जारी नहीं की गयी।
		2016-17	166.00	10.53	155.47	93.7	राज्य में योजना (रिफाइनरी की स्थापना) का कार्यान्वयन नही होने के कारण मूल बजट में आंवटित निधि के समक्ष अंशपूंजी जारी नहीं की गयी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो का कम निष्पादन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा वन विभाग से खनन क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना रहे।
22.	46- सिंचाई	2014-15	1,165.59	953.91	211.68	18.2	कार्यो का कम निष्पादन रहे।
		2015-16	1,162.00	867.72	294.28	25.3	भारत सरकार से फव्वारा प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय का समायोजन होना रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		2016-17	1,503.68	1,264.09	239.59	15.9	ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना, निविदा प्रक्रिया में देरी, कार्यो का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से सिंचित क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन में परिवर्तन होना, कार्यो की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं होना, परवन परियोजना पर आनुपातिक व्यय का समायोजन न होना तथा कार्यो का कम/निष्पादन नहीं होना रहे।
23.	47-पर्यटन	2014-15	37.38	24.51	12.87	34.4	रात्रि पर्यटन तथा भरतपुर में बारह दरवाजे की मरम्मत के लिए स्वीकृति प्राप्त न होना तथा विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कार्यो का कम निष्पादन, सांभर नमक परियोजना पर कम व्यय तथा निर्माणाधीन कार्यो की धीमी प्रगति होना रहे।
		2015-16	66.89	53.02	13.87	20.7	विभिन्न विभागों द्वारा कार्य का कम निष्पादन, पुरातत्व विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के रूप में नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी तथा सुरलिया, बांरा पर व्यय नहीं करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के रूप में सांभर परियोजना हेतु चालू कार्यो की धीमी गति रहना रहे।
		2016-17	49.12	21.08	28.04	57.1	कार्यकारी अभिकरण द्वारा कार्यो की धीमी प्रगति होना तथा आमेर में फाउन्टेन का संचालन तथा आमेर (सागर) में अन्य विकास कार्यो का निरस्त होना तथा सांभर परियोजना विकास से संबंधित कार्यो की धीमी प्रगति होना रहे।

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7: पृष्ठ 96)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	4- जिला प्रशासन	434.59	419.46	15.13	6.44
2.	6-न्याय प्रशासन	660.91	654.54	6.37	36.04
3.	11- विविध सामाजिक सेवाऐं	86.41	81.81	4.60	14.36
4.	12- अन्य कर	492.16	433.87	58.29	21.96
5.	13-आबकारी	138.26	131.04	7.22	2.92
6.	15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	12,492.46	12,278.88	213.58	177.70
7.	21- सड़कें एवं पुल	1,492.21	1,458.11	34.10	109.75
8.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,563.64	4,521.83	41.81	222.29
9.	36- सहकारिता	479.34	476.71	2.63	10.50
10.	38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	108.05	106.94	1.11	5.80
11.	41- सामुदायिक विकास	6,537.05	6,130.37	406.68	293.49
12.	43-खनिज	376.50	376.04	0.46	41.02
13.	46- सिंचाई	1,961.27	1,953.84	7.43	83.68
14.	48- विद्युत	14,623.68	13,606.55	1,017.13	411.48
पूँजीगत-दत्तमत					
15.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	4,666.90	4,346.48	320.42	13.93
16.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	278.87	266.84	12.03	1.68
योग		**49,392.30**	**47,243.31**	**2,148.99**	**1,453.04**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8: पृष्ठ 97)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में))

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-101-01 राज्य कर्मचारियों को पेंशन	(-) 465.34	(-) 59.90
2.			2071-01-105 परिवार पेंशन	(-) 115.00	(-) 1.70
3.	21	सड़कें एवं पुल	3054-80-001-01-01 स्थापना	(+) 49.82	(+) 17.09
4.			5054-04-800-02-01 ग्रामीण सड़कें	(-) 12.56	(-)1.09
5.	46	सिंचाई	4700-32-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 (स्थापना) से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(-) 145.06	(-) 3.60
6.			4702-101-07-01 निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	(-) 11.21	(-) 2.95
7.			4702-101-09-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(+) 11.90	(+) 3.56
8.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4702-789-04-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(+) 3.75	(+) 1.22
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
9.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-17 कृषि फसलो, बागवानी फसलो एवं वार्षिक लगान फसलो के लिए लघु सीमान्त कृषको को कृषि आदान अनुदान	(+) 4.86	(-) 39.49
10.	46	सिंचाई	2700-03-001-01-01 सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	(-) 64.48	(+) 70.97
11.			2700-04-800-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से	(+) 7.55	(-) 19.00
12.			4701-69-001-01 निदेशन तथा प्रशासन	(+) 2.05	(-) 2.86
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
13.	15	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-115 छुटटी नगदीकरण हित लाभ	(+) 31.80	(-) 2.62
14.	21	सड़कें एवं पुल	3054-02-337-01-01 संधारण एवं जीर्णोधार	(-) 26.59	(+) 13.30

(₹ करोड़ में))

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
15.			5054-03-337-05 केन्द्रीय सडक निधि से पोषित सड़कें	(+) 303.75	(-) 1.38
16.			5054-04-337-16 हवाई पटिटयों का निर्माण	(+) 40.29	(-) 2.43
17.	27	पेयजल योजना	4215-01-101-01-85 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं	(+) 10.95	(-) 4.24
18.			4215-01-102-25 नहरों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार	(+) 5.95	(-) 1.12
19.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-18 लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान	(+) 229.42	(-) 4.57
20.			2245-02-114-02-02 ओलावृष्टि	(+) 18.67	(-) 4.22
21.			2245-02-114-05-02 ओलावृष्टि	(+) 32.75	(-) 6.70
22.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-02-44 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एनसीआरपीबी)	(+) 13.59	(-) 1.86
			योग		**(+) 106.14** **(-) 159.73**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 97)

31 मार्च 2017 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की बचतों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
1.	ब्याज अदायगियां	2049	17,734.50	57.26
2.	लोक ऋण	6003, 6004	5,036.98	22.41
3.	4- जिला प्रशासन	2053	441.03	21.12
4.	6- न्याय प्रशासन	2014	696.95	42.34
5.	8- राजस्व	2029, 2052	854.81	201.47
6.	9- वन	2406	797.20	79.79
7.	10- विविध सामान्य सेवाएं	2075	412.83	131.52
8.	11- विविध सामाजिक सेवाएं	4250, 5425	34.54	25.66
9.	12- अन्य कर	2030, 2041, 2045, 3055	514.12	80.24
10.		5055, 7055	301.00	201.00
11.	15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	12,670.16	325.57
12.	16- पुलिस	2055, 2070	4,630.95	129.60
13.	19- लोक निर्माण कार्य	2059	469.88	66.92
14.		4055, 4059, 4070, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4403, 4515, 4700, 4853, 5475	1,617.69	893.21
15.	21- सड़कें एवं पुल	3054	1,601.96	173.91
16.		4851, 4853, 5054, 7075	3,466.39	1,248.23
17.	22-क्षेत्र का विकास	4575, 4705	351.52	36.89
18.	23- श्रम तथा रोजगार	2230, 3475	510.86	21.34
19.		4250	51.33	25.73
20.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2070, 2202, 2203, 2204, 2205	21,639.85	674.30
21.		4202, 6202	46.15	22.99
22.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210, 2211, 3606	6,811.78	368.11
23.		4210, 6210	352.96	180.18
24.	27- पेयजल योजना	2215	3,176.93	260.26
25.		4215	3,876.33	878.97
26.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501, 2515, 2810	949.64	208.23
27.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2216, 2217, 3055	4,833.04	626.53
28.		4217, 5055, 6217	1,742.68	767.44
29.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	2014, 2029, 2040, 2041, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2220, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2415, 2425, 2501, 2505, 2515, 2700, 2702, 2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3435, 3454, 3456, 3475	9,113.00	1,729.12

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि
30.		4055, 4058, 4059, 4202, 4210, 4215, 4216, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4405, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4801, 4853, 4885, 5054, 5055, 5452, 5475, 6216, 6408, 6801, 6885, 7055	4,680.83	330.04
31.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225, 2230, 2235, 2236	4,785.93	241.69
32.		4225, 4235, 4236, 6225	204.32	57.00
33.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	4,537.14	270.62
34.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	2047, 3454, 3475	420.52	147.18
35.	37- कृषि	2401, 2415, 2435	2,482.89	320.41
36.		4401,6401, 6408	588.97	356.41
37.	41- सामुदायिक विकास	2515	6,830.54	700.14
38.	42- उद्योग	4851, 4885, 6851,6860, 6885	323.29	52.55
39.	43- खनिज	2802, 2853	417.06	40.94
40.		4802, 4853, 6802	166.00	155.47
41.	46- सिंचाई	2700, 2701, 2702	2,044.95	182.89
42.		4700, 4701, 4702, 4711	1,503.68	232.53
43.	47- पर्यटन	5452, 7452	49.13	28.04
44.	48- विद्युत	2801, 2810	15,035.16	1,428.61
45.		4801, 4810, 6801	11,156.53	184.06
46.	50- ग्रामीण रोजगार	2505, 2515	2,506.39	1,006.54
47.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2014, 2029, 2040, 2041, 2059, 2202, 2203, 2204, 2205, 2210, 2211, 2216, 2217, 2225, 2230, 2235, 2236, 2401, 2403, 2405, 2406, 2425, 2501, 2505, 2515, 2701, 2702, 2705, 2801, 2810, 2851, 2852, 2853, 3055, 3425, 3454, 3456, 3475	9,549.49	1,240.91
48.		4055, 4059, 4202, 4210, 4215, 4217, 4220, 4225, 4235, 4236, 4250, 4401, 4406, 4425, 4515, 4575, 4700, 4701, 4702, 4705, 4711, 4801, 4853, 4885, 5054, 5055, 5452, 5475, 6216, 6801,7055	5,988.15	575.81
	योग		**1,78,008.03**	**17,052.18**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 97)

₹ 1 करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
1	2	3	4	5
	राजस्व-दत्तमत			
1.	15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	391.28	325.57	65.71
2.	16- पुलिस	132.36	129.60	2.76
3.	24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति	676.33	674.30	2.03
4.	27- पेयजल योजना	263.20	260.26	2.94
5.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,734.07	1,729.12	4.95
6.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	264.10	241.70	22.40
7.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	327.27	270.62	56.65
8.	37- कृषि	321.99	320.41	1.58
9.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,245.05	1,240.92	4.13
पूंजीगत-दत्तमत				
10.	19- लोक निर्माण कार्य	898.17	893.21	4.96
11.	21- सड़कें एवं पुल	1,263.41	1,248.23	15.18
12.	27- पेयजल योजना	896.22	878.97	17.25
13.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	783.23	767.44	15.79
14.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	334.35	330.04	4.31
15.	46- सिंचाई	239.59	232.53	7.06
	योग	**9,770.62**	**9,542.92**	**227.70**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.11: पृष्ठ 98)

एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
1.	8	राजस्व	2029-103-04-02 भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	144.17	105.74	73.3
2.			2029-103-07 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	43.46	37.78	86.9
3.	10	विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण	410.00	131.42	32.1
4.	11	विविध सामाजिक सेवाएं	4250-800-02-90 निर्माण कार्य	22.00	19.90	90.5
5.	12	अन्य कर	3055-190-10 सुधार सम्बद्ध योजना-राजस्थान राज्य परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान	120.00	60.42	50.4
6.			5055-190-07 सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पतियों के समक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूँजी	300.00	200.00	66.7
7.	19	लोक निर्माण कार्य	4055-211-02-90 निर्माण कार्य	62.94	40.09	63.7
8.			4059-80-051-03-03 अन्य न्यायिक भवन	123.45	72.75	58.9
9.			4059-80-051-04-01 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	37.19	18.81	50.6
10.			4202-01-203-01-90 निर्माण कार्य	60.62	36.71	60.6
11.			4210-03-105-02-90 निर्माण कार्य	28.87	18.22	63.1
12.			4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	561.50	409.55	72.9
13.			4250-203-09-90 निर्माण कार्य	23.71	16.01	67.5
14.	21	सड़कें एवं पुल	5054-03-337-07-90 निर्माण कार्य	178.00	155.14	87.2
15.			5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	145.37	133.71	92.0
16.			5054-04-800-21-01 ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	57.00	34.82	61.1
17.			5054-04-800-21-02 सड़क सुरक्षा प्रबंधन	19.47	16.88	86.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
18.			5054-80-001-01-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	158.51	88.96	56.1
19.			5054-80-001-01-93 सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)	59.44	33.36	56.1
20.			5054-80-800-01-92 औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय	39.63	22.24	56.1
21.	24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-11 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओ को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	45.21	43.42	96.0
22.			2202-02-109-03 व्यावसायिक शिक्षा	47.61	25.76	54.1
23.			2202-02-109-11 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयो मे अध्ययनरत कक्षा 9 के छात्रों को साईकिल वितरण	58.20	42.70	73.4
24.			2202-02-109-23 लैपटॉप वितरण	41.40	33.51	80.9
25.			2202-04-200-02 साक्षर भारत अभियान	30.18	28.41	94.1
26.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2211-800-02-02 स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेन्स सर्विसेज (ई.एम.आर.आई) (50:50)	58.39	41.53	71.1
27.			4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	89.15	57.34	64.3
28.			4210-03-105-07-05 चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	22.88	21.88	95.6
29.	27	पेयजल योजना	4215-01-101-01-94 प्रतापगढ कस्बे की शहरी जलप्रदाय योजना का पुनरुद्धार	27.48	17.21	62.6
30.			4215-01-102-18 बीसलपुर-दूदू जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	57.43	34.35	59.8
31.			4215-01-102-19 चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना	30.92	22.30	72.1
32.			4215-01-102-40 डीग जलपूर्ति योजना	41.51	29.15	70.2
33.			4215-01-102-59 निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जल प्रदाय योजना	72.17	48.25	66.9
34.			4215-01-102-61 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय योजना फेज-।। पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर स्कीम)	36.89	26.17	70.9
35.			4215-01-102-64 ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना	30.15	19.90	66.0
36.			4215-01-102-65 गागरिन जलपूर्ति योजना	55.40	31.43	56.7
37.			4215-01-102-75 बांसवाडा जलपूर्ति योजना	32.25	18.44	57.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
38.			4215-01-102-85 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी)	94.73	55.98	59.1
39.			4215-01-102-86 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि	48.77	30.91	63.4
40.	28	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-06-01 अनुदान	59.05	46.71	79.1
41.			2501-06-196-09-01 अनुदान	31.67	29.94	94.5
42.			2515-196-05-01 कार्यकलाप संबंधी	22.53	19.93	88.5
43.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-02 जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	44.59	25.53	57.3
44.			2217-80-191-35-02 चौदहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	53.72	35.28	65.7
45.			2217-80-192-22-01 विकास कार्य	97.03	54.29	56.0
46.			4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायो हेतु	103.01	76.67	74.4
47.			4217-04-800-04 स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	131.61	101.89	77.4
48.			6217-60-190-03-01 एशियाई विकास बैंक ऋण	250.00	128.01	51.2
49.	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2029-796-01-01 भू–प्रबन्धन विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	28.33	23.48	82.9
50.			2202-02-107-06-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियां	67.00	50.06	74.7
51.			2202-02-109-07-03 *अनुसूचित जन जातियो के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान*	207.44	132.89	64.1
52.			2202-03-796-09 *अनुसूचित जन जातियो के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान*	27.00	19.20	71.1
53.			2217-80-191-39-03 सबके लिए आवास–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	31.27	28.33	90.6
54.			2225-02-796-02-54 कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (विकेस)	24.00	15.61	65.0
55.			2401-796-51-04 प्रवाह सिंचाई से बूंद–बूंद सिंचाई में रुपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई)	27.68	22.89	82.7
56.			2401-796-63 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	32.27	29.10	90.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
57.			2401-796-76-04 भू-संरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से	35.59	22.76	64.0
58.			2403-796-01-26 *मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना*	25.69	17.29	67.3
59.			2501-06-196-06-02 अनुदान	23.62	18.45	78.1
60.			2515-196-40-01 कार्यकलाप/गतिविधियां	271.44	152.94	56.3
61.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-196-22-06 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	15.50	15.37	99.2
62.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-01-13 खोज बचाव एवं संचार आदि के लिये औजारों एवं उपकरणो का क्रय	50.00	47.55	95.1
63.			2245-02-122 खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनरूद्धार	20.00	16.99	84.9
64.	37	कृषि	2401-196-06-19 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –गेंहू	24.50	18.15	74.1
65.			2401-196-06-22 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – मोटे अनाज	38.44	21.30	55.4
66.			2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	28.85	16.70	57.9
67.			2401-800-37-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	42.00	38.73	92.2
68.			4401-800-04-04 मृदा-सरंक्षण एव जल ग्रहण विकास विभाग के माध्यम से	206.40	141.07	68.3
69.			6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भंडारण निगम को उधार	134.00	104.00	77.6
70.	41	सामुदायिक विकास	2515-198-22-02 कार्यकलाप/गतिविधियां	50.56	29.74	58.8
71.	42	उद्योग	2852-80-102-26-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	20.00	16.86	84.3
72.	43	खनिज	4853-01-004-07-01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रो मे सडक निर्माण	35.00	24.47	69.9
73.	46	सिंचाई	4700-24-001-03-02 निर्माण कार्य में गुजरात सरकार की हिस्सा राशि	25.00	20.00	80.0
74.	47	पर्यटन	5452-80-800-01 पर्यटक स्थलों का विकास	29.42	19.67	66.9
75.	50	ग्रामीण रोजगार	2505-01-196-01-03 अनुदान (राज्यांश)	124.64	100.51	80.6
76.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2029-789-01-01 भू-प्रबन्धन विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)	37.35	30.96	82.9
77.			2202-02-107-05-02 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	69.00	50.25	72.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
78.			2202-03-789-06 *अनुसूचित जातियो के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान*	35.00	19.40	55.4
79.			2211-789-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू. एच.एम.)	20.95	16.72	79.8
80.			2217-80-191-39-02 *अनुसूचित जातियो के लिए उपयोजना-सबके लिए आवास*	41.30	37.19	90.0
81.			2401-789-01-28 राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	56.47	53.22	94.2
82.			2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई मे रुपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	36.61	32.38	88.4
83.			2401-789-02-12 सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	24.07	21.02	87.3
84.			2401-789-09-04 भू सरंक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से	54.00	37.16	68.8
85.			2501-05-196-07-03 कार्यकलाप संबंधी	112.33	95.66	85.2
86.			2501-06-196-06-03 अनुदान	35.43	28.21	79.6
87.			2501-06-196-09-03 अनुदान	19.00	18.00	94.7
88.			2702-01-789-01-01 मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन (आयोजना) विभाग के माध्यम से	21.12	20.74	98.2
89.			4700-04-789-01-01 निर्माण कार्य	24.50	17.56	71.7
90.			5452-80-789-01 पर्यटक स्थलो का विकास	20.75	19.13	92.2
	योग			**6,562.78**	**4,461.11**	*68.0*

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 98)

वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण का विवरण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
राजस्व-दत्तमत				
1.	20- आवास	(+) 0.23	5.63	5.86
2.	21- सड़कें एवं पुल	(-) 143.85	173.91	30.06
3.	46- सिंचाई	(-) 91.11	182.89	91.78
	योग	**(-) 234.73**	**362.43**	**127.70**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.13; पृष्ठ 99)

प्रकरण जिनमें पिछले दो से चार वर्षों तक सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष			
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
			कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)
1.	26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-03 राज्य कैंसर संस्थान हेतु सहायतार्थ अनुदान	-	-	50.00	50.00
2.		2210-05-105-05-02 टर्सरी केंसर केयर सेंटर	-	-	22.50	22.50
3.	33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-103-20-01 महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से	10.60	10.60	10.60	10.60
4.		4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण	-	-	40.65	40.65
5.		4236-02-800-10 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र उन्नयन एवं रख-रखाव मय क्रेच निर्माण	-	9.97	9.97	9.96
6.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	3454-02-203-01-07 स्टेट डेटा सेन्टर	-	-	15.07	15.07
7.		3454-02-203-01-27 ई-डिस्ट्रिक	-	-	3.93	4.64
8.	43-खनिज	2853-02-797-02 लेखा मद 8229-200(09)खनन क्षेत्रो में पर्यावरण प्रबंधन निधि	-	-	14.00	10.00
9.		2853-02-800-02-01 खान एवं भू-विज्ञान विभाग	-	-	14.00	10.00
10.		4802-02-190-03 एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड	-	102.10	79.80	80.00
11.	46- सिंचाई	2700-02-001-05-01 दांहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक प्रभार	0.94	1.18	1.09	1.12
12.		4700-04-001-03-01 चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)	-	1.50	40.00	30.00
13.		4700-04-001-03-02 पन्ना लाल बारुपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)	-	-	10.00	5.00
14.		4700-04-001-03-03 डा. करणीसिंह जलोत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)	-	1.50	20.00	7.00

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष			
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
			कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)
15.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-196-12 सम्बल ग्रामों का विकास	-	-	40.60	40.60
16.		2235-02-789-01-06 मिशन ग्राम्य शक्ति	3.50	3.50	3.50	3.50
17.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	-	0.07	0.41	5.02
18.		4700-05-789-01-01 पंजाब मे इंदिरा नहर फीडर के निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)	-	-	3.56	3.56
19.		2210-06-789-04 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	-	-	5.97	9.36
20.		4236-02-789-02 आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत आगंन बाड़ी केन्द्र उन्नयन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण	-	2.57	2.57	2.58
		योग	**15.04**	**132.99**	**388.22**	**361.16**

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.15; पृष्ठ 100)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
1.	12-अन्य कर	5055-190-07 सुधार सम्बद्ध योजना (रिफार्म लिंक्ड प्लान) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अडडा सेवा निगम को हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूंजी	300.00	-	300.00	100
2	19-लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-40 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	17.70	-	17.70	100
3	21-सड़कें एवं पुल	3054-80-797-02 राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण	500.00	-	500.00	100
4		5054-03-337-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।(विश्व बैंक)	117.73	-	117.73	100
5		5054-03-337-13 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।।(जायका)	58.87	-	58.87	100
6	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-108-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान - सामान्य व्यय	80.49	-	80.49	100
7		2204-104-05 *पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पाइका)*	11.47	-	11.47	100
8	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-03 राज्य केंसर संस्थान हेतु सहायतार्थ अनुदान	50.00	-	50.00	100
9		2210-05-105-05-02 टर्सरी केंसर केयर सेंटर	22.50	-	22.50	100
10		2210-06-101-21 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	35.44	-	35.44	100
11	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-05-01 कार्यकलाप सम्बन्धी	68.69	-	68.69	100
12	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-29-01 विद्युत बिलों का भुगतान	100.00	-	100.00	100
13		2217-80-192-33-01 विद्युत बिलों का भुगतान	60.00	-	60.00	100
14		6217-60-190-02-01 जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.00	-	15.00	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2225-02-796-19-10 वनबन्धु कल्याण योजनाओ का कियान्वयन हेतु अनुदान	10.50	-	10.50	100
16		2401-796-76-03 जल संसाधन विभाग के माध्यम से	22.28	-	22.28	100
17		2501-05-196-05-02 कार्यकलाप सम्बन्धी	13.48	-	13.48	100
18		4210-03-796-01-02 चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, उदयपुर	11.77	-	11.77	100
19		4225-02-796-11-10 सड़क एवं पुलों का निर्माण	10.00	-	10.00	100
20		4225-02-796-11-18 जनजाति क्षेत्रीय विकास भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीकरण	13.36	-	13.36	100
21		4853-01-796-04-03 वन विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रो मे पर्यावरण सुधार	14.00	-	14.00	100
22		5054-03-796-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।(विश्व बैंक)	23.86	-	23.86	100
23		5054-03-796-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।। (जायका)	11.93	-	11.93	100
24	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-02 परिवहन	25.00	-	25.00	100
25		2245-01-104-03 पशु पोषण केन्द्र	11.00	-	11.00	100
26		2245-02-114-02-01 बाढ़	14.00	-	14.00	100
27		2245-02-114-05-01 बाढ़	10.00	-	10.00	100
28	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाऐं	5475-800-08-30 ई-डिस्ट्रिक्ट	18.22	-	18.22	100
29	37-कृषि	4401-800-04-03 जल संसाधन विभाग के माध्यम से	65.82	-	65.82	100
30	41-सामुदायिक विकास	2515-196-15-02 कार्यकलाप/गतिविधियां	29.26	-	29.26	100
31	42-उद्योग	2852-80-102-26-01 आयुक्त, उद्योग विभाग	20.00	-	20.00	100
32		2852-80-190-03-02 राजस्थान स्टार्ट अप पॉलिसी	10.85	-	10.85	100
33	43-खनिज	4853-01-004-07-02 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा	16.00	-	16.00	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
34		4853-01-004-07-03 वन विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार	35.00	-	35.00	100
35	46-सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय	71.19	-	71.19	100
36		2700-03-001-01-01 सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	76.31	-	76.31	100
37		4700-05-001-01-01 पंजाब मे इंदिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)	16.44	-	16.44	100
38		4702-101-10-01 निर्माण कार्य	22.83	-	22.83	100
39	48-विद्युत	2801-80-190-34-01 *जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड*	617.30	-	617.30	100
40		2801-80-190-34-02 *जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड*	360.00	-	360.00	100
41		2801-80-190-34-03 *अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड*	438.05	-	438.05	100
42		2801-80-190-39-01 *राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुदान*	203.66	-	203.66	100
43	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2401-789-09-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	10.80	-	10.80	100
44		2401-789-09-03 जल संसाधन विभाग के माध्यम से	20.93	-	20.93	100
45		2501-05-196-05-03 कार्यकलाप सम्बन्धी	17.83	-	17.83	100
46		4853-01-789-02-03 वन विभाग के माध्यम से खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार	11.00	-	11.00	100
47		5054-03-789-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।। (विश्व बैंक)	35.40	-	35.40	100
48		5054-03-789-12 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-।।। (जायका)	17.70	-	17.70	100
		योग	**3,743.66**		**3,743.66**	

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(i); पृष्ठ 102)

बैंक खातों में शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.03.2015 को शेष		31.03.2016 को शेष		31.03.2017 को शेष	
		बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	42.84	-	52.76	-	47.85	-
2.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जयपुर	0.06	5.74	19.39	6.69	3.44	4.56
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), अजमेर	11.91	-	10.93	-	12.64	-
4.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), अजमेर	6.81	-	44.26	-	20.08	-
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जोधपुर	20.98	-	23.28	-	19.27	-
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जोधपुर	1.53	-	1.54	-	1.66	-
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	44.57	-	23.06	-	23.02	-
8.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), बीकानेर	5.53	-	14.00	-	14.69	-
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	26.57	-	27.35	-	43.69	-
10.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	1.09	-	20.57	-	2.15	-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.03.2015 को शेष		31.03.2016 को शेष		31.03.2017 को शेष	
		बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद	बचत खाता	सावधि जमा रसीद
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	37.35	-	39.92	-	27.61	-
12.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), भीलवाडा	0.42	-	0.36	-	0.21	-
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	36.72	-	38.49	-	28.52	-
14.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), कोटा	1.06	-	0.87	-	1.18	-
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	12.73	-	10.01	-	19.27	-
16.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), दौसा	1.55	-	2.11	-	2.29	-
योग		**251.72**	**5.74**	**328.90**	**6.69**	**267.57**	**4.56**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(ii); पृष्ठ 102)

31 मार्च 2017 को असंचालित/बन्द योजनाओं में अनुपयोजित शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	राशि
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	1.54
2.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जयपुर	5.33
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), अजमेर	4.73
4.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), अजमेर	7.89
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जोधपुर	4.05
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जोधपुर	4.29
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	16.57
8.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), बीकानेर	4.77
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	2.16
10.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	3.05
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	11.46
12.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), भीलवाड़ा	5.34
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	2.49
14.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), कोटा	0.85
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	0.25
16.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), दौसा	0.38
	योग	**75.15**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(iii); पृष्ठ 103)

निजी/राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त सरकारी व्यवहारों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	निजी बैंकों/राष्ट्रीकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों के नाम	31.03.2017 को शेष	
			बैंक वार (₹ लाख में)	योग (₹ करोड़ में)
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	1. इंडसइंड बैंक	177.98	
		2. एचडीएफसी	180.42	
		योग	**358.40**	**3.58**
2.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), अजमेर	1. एचडीएफसी	93.90	
		2. एक्सिस	1,725.99	
		योग	**1,819.89**	**18.20**
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), जोधपुर	1 .एक्सिस	18.06	**0.18**
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	1.सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	7.70	
		2.मरुधर ग्रामीण बैंक	0.67	
		3.एचडीएफसी	522.56	
		4.एक्सिस	171.13	
		5.कोटक महिंद्रा बैंक	26.71	
		योग	**728.77**	**7.29**
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	1.सीकर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	388.92	
		2.एक्सिस	587.24	
		3. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	300.19	
		4. सीकर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	0.56	
		5. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.04	
		6. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.11	
		7.एक्सिस	0.02	
		8. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.12	
		9 बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.13	
		10. सीकर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	0.02	
		11. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.14	
		योग	**1,277.49**	**12.77**
6	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	1. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.18	**0.01**
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	1. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.13	
		2. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	14.49	
		3. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	2.89	
		4. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	508.07	
		योग	**525.58**	**5.26**
8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	1. आईसीआईसीआई	2.14	
		2. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	1,400.56	
		3. एक्सिस	111.33	
		4. आईसीआईसीआई	320.85	
		5. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.04	

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	निजी बैंकों/राष्ट्रीकृत बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों के नाम	31.03.2017 को शेष	
			बैंक वार (₹ लाख में)	योग (₹ करोड़ में)
		6. .बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	124.21	
		7. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.03	
		8. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.0	
		9. बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0.03	
		योग	**1,959.19**	**19.59**
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	1.एचडीएफसी	0.21	
		2.आईसीआईसीआई	63.01	
		योग	**63.22**	**0.63**
	कुल योग	**37**		**67.51**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.17(iv); पृष्ठ 103)

एक योजना के लिए बैंक खातों की बहुलता का विवरण

क्रम संख्या	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	योजना का नाम	बैंक खातों की संख्या
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर	मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे	2
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), अजमेर	मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना	3
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जोधपुर	इंदिरा आवास योजना	2
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बीकानेर	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5
		क्लस्टर विकास कार्यक्रम	5
		मरु सुधार कार्यक्रम	8
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		इंदिरा आवास योजना	3
5.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), बीकानेर	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	3
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		मध्याह्न भोजन योजना	3
		मरु सुधार कार्यक्रम	7
		क्लस्टर विकास कार्यक्रम	6
7	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायती राज), सीकर	स्वच्छ भारत अभियान	2
8	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाडा	एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम	3
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2
		मुख्यमंत्री आवास योजना	3
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम	2
		सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	5
		इंदिरा आवास योजना	6
		स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	3
		मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना	4
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), दौसा	एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम	6
		इंदिरा आवास योजना	3
		विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह	2

स्रोत:विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 106)

सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	आ/ आभि	वर्ष	कुल	अभ्यर्पण राशि	पुर्नविनियोजन	विभाग द्वारा बताये गये कारण
2403- पशु-पालन 102- पशु तथा भैंस विकास 16- पशुधन नस्ल सुधार योजना 01-स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से	आयोजना	2016-17	3.81		3.81	अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 102- पशु तथा भैंस विकास 18- राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना	आयोजना	2016-17	3.00	1.41	1.59	अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 108- पशुधन तथा मुर्गी बीमा 01- निदेशालय पशु पालन विभाग 01-पशु बीमा	आयोजना	2014-15	1.02	1.02		अनुमानों का संशोधन
2403- पशु-पालन 101- पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य 23- पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम	आयोजना	2015-16	4.35	4.35		अनुमानों का संशोधन
2403-पशु-पालन 106-अन्य पशुधन विकास 02- गौसेवा निदेशालय 01- गौशाला को अनुदान	आयोजना	2014-15	58.65	40.62	18.03	राज्य सरकार से अनुदान राशि के वितरण की स्वीकृति एवं दिशा निर्देश प्राप्त नही होने के कारण सहायता राशि जारी नही की जा सकी।
2404-डेयरी विकास 195- सहकारी समितियों को सहायता 01- राजस्थान राज्य कॉपरेटिव संघ को सहायता	आयोजना	2016-17	8.71		8.71	विभाग द्वारा कारण सूचित नही किये गये।

स्रोतः विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 111)

वर्ष 2016-17 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1	2014	2016-17	1	0.50
	योग		**1**	**0.50**
2	2029	2007-08	1	292.18
		2011-12	1	62.50
		2013-14	2	166.99
	योग		**4**	**521.67**
3	2051	2016-17	39	517.58
	योग		**39**	**517.58**
4	2052	2016-17	1	1.00
	योग		**1**	**1.00**
5	2053	2016-17	3	19.30
	योग		**3**	**19.30**
6.	2055	2014-15	3	247.10
		2016-17	3	305.00
	योग		**6**	**552.10**
7.	2059	2016-17	3	0.30
	योग		**3**	**0.30**
8.	2202	1989-90	2	0.60
		1990-91	1	0.30
		1991-92	2	0.10
		1992-93	2	0.56
		1996-97	1	0.09
		2016-17	2	6.58
	योग		**10**	**8.23**
9.	2204	2016-17	8	5.64
	योग		**8**	**5.64**
10.	2205	2014-15	1	75.00
	योग		**1**	**75.00**
11.	2210	2013-14	1	179.70
		2015-16	7	218.61
		2016-17	7	179.75
	योग		**15**	**578.06**
12.	2215	2016-17	1	0.40
	योग		**1**	**0.40**
13.	2217	2016-17	2	0.31
	योग		**2**	**0.31**
14.	2225	2016-17	1	10.00
	योग		**1**	**10.00**
15.	2245	2008-09	1	19.01
		2012-13	1	103.50
		2016-17	16	34150.10
	योग		**18**	**34272.61**
16.	2401	2016-17	3	8.74
	योग		**3**	**8.74**
17.	2403	2015-16	2	2.70
		2016-17	7	18.00
	योग		**9**	**20.70**

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
18.	2406	2015-16	2	11.50
		2016-17	3	1.66
योग			**5**	**13.16**
19.	2515	2008-09	1	11.29
		2016-17	14	7.95
योग			**15**	**19.24**
20.	2701	2016-17	1	0.17
योग			**1**	**0.17**
21.	2705	2016-17	1	28.44
योग			**1**	**28.44**
22.	2851	2016-17	3	3.00
योग			**3**	**3.00**
23.	3425	2016-17	54	28.92
योग			**54**	**28.92**
24.	3452	2016-17	5	11.00
योग			**5**	**11.00**
25.	4059	2011-12	2	8.00
योग			**2**	**8.00**
26.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
		2005-06	1	4.20
योग			**3**	**4.74**
27.	4210	2014-15	1	169.96
		2015-16	2	71.85
		2016-17	2	64.28
योग			**5**	**306.09**
28.	4217	2016-17	1	160.00
			1	**160.00**
कुल योग			**220**	**37,174.89**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 115)

30 जून 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग/ मुख्य शीर्ष	अनुदान जारी करने का वर्ष	जारी किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	परिवार कल्याण (2211)	2007-08	1	486.00	0	402.54	1	83.46
		2008-09	1	489.00	0	382.23	1	106.77
		2009-10	5	508.97	4	410.34	1	98.63
योग			**7**	**1,483.97**	**4**	**1,195.11**	**3**	**288.86**
2.	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.75	1	11.72
योग			**308**	**235.47**	**307**	**223.75**	**1**	**11.72**
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2009-10	55	84.65	48	81.46	7	3.19
		2010-11	35	176.76	24	162.20	11	14.56
		2011-12	38	752.67	25	647.18	13	105.49
		2012-13	43	1,038.54	24	622.01	19	416.53
		2013-14	35	146.67	21	106.95	14	39.72
		2014-15	56	57.66	42	50.11	14	7.55
		2015-16	35	84.71	13	40.31	22	44.40
योग			**297**	**2,341.66**	**197**	**1,710.22**	**100**	**631.44**
कुल योग			**612**	**4,061.10**	**508**	**3,129.08**	**104**	**932.02**

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 117)

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
उच्च शिक्षा					
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2015-16	13,669.64	24,071.74
2.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2015-16	3,557.65	8,923.38
	योग	**2**		**17,227.29**	**32,995.12**
माध्यमिक शिक्षा					
2.	राजस्थान राज्य खुला विद्यालय, जयपुर	2	2014-16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	योग	**2**		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
प्राथमिक शिक्षा					
1.	जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	1	2015-16	30.00	30.00
2.	जन शिक्षण संस्थान, जयपुर	1	2015-16	17.85	34.91
3.	जन शिक्षण संस्थान, जोधपुर	1	2015-16	17.50	50.99
4.	जन शिक्षण संस्थान, कोटा	1	2015-16	17.50	39.15
	योग	**4**		**82.85**	**155.05**
शहरी विकास एवं आवास					
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण	7	2009-16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
श्रम					
.1.	बाल श्रम परियोजना संस्था, अजमेर	1	2015-16	7.43	5.18
2.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बाड़मेर	4	2012-16	8.03	1.80
3.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बारां	1	2015-16	142.09	141.77
4.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बांसवाड़ा	4	2012-16	4.15	0.74
5.	बाल श्रम परियोजना संस्था, भरतपुर	7	2009-16	62.81	68.78
6.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बीकानेर	2	2014-16	67.00	48.06
7.	बाल श्रम परियोजना संस्था, बूंदी	1	2015-16	65.85	0.58
8.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चित्तौड़गढ़	1	2015-16	86.96	2.21
9.	बाल श्रम परियोजना संस्था, चूरू	5	2011-16	15.26	0.37
10.	बाल श्रम परियोजना संस्था, धौलपुर	2	2014-16	1.34	0.28
11.	बाल श्रम परियोजना संस्था, डुंगरपुर	1	2015-16	3.89	0.29
12.	बाल श्रम परियोजना संस्था, हनुमानगढ़	2	2014-16	14.63	0.59
13.	बाल श्रम परियोजना संस्था, जालोर	1	2015-16	16.90	1.68
14.	बाल श्रम परियोजना संस्था, झालावाड़	1	2015-16	उपलब्ध नहीं	0.52
15.	बाल श्रम परियोजना संस्था, झुंझुनु	1	2015-16	40.65	0.11
16.	बाल श्रम परियोजना संस्था, जोधपुर	2	2014-16	3.01	3.31
17.	बाल श्रम परियोजना संस्था, पाली	1	2015-16	12.72	0.02
18.	बाल श्रम परियोजना संस्था, श्रीगंगानगर	1	2015-16	0.01	0.02
	योग	**38**		**552.73**	**276.31**

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
उद्योग					
1.	उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर	1	2015-16	2.96	30.52
2.	राजस्थान फाउंडेशन, जयपुर	1	2015-16	उपलब्ध नहीं	46.20
	योग	**2**		**2.96**	**76.72**
पर्यटन					
1.	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, जोधपुर	1	2015-16	65.64	270.65
	योग	**1**		**65.64**	**270.65**
कला एवं संस्कृति					
1.	भारतीय क्रॉफ्ट एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	4	2012-16	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	जयपुर कथक केन्द्र, जयपुर	2	2014-16	104.23	108.26
3.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	1	2015-16	125.22	126.93
4.	राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर	1	2015-16	67.10	50.03
5.	राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, बीकानेर	1	2015-16	उपलब्ध नहीं	4.79
6.	राजस्थान संगीत अकादमी, पावटा, जोधपुर	1	2015-16	205.10	244.14
7.	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	1	2015-16	110.04	96.18
	योग	**11**		**611.69**	**630.33**
चिकित्सा शिक्षा					
1.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	2	2014-16	10,986.60	3,078.40
	योग	**2**		**10,986.60**	**3,078.40**
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
1.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2012-16	763.00	157.94
2.	राजस्थान राज्य समाज कल्याण मण्डल, जयपुर	1	2015-16	325.31	344.71
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2015-16	4,372.12	3,762.93
4.	अफीम नशा मुक्ति उपचार एवं प्रशिक्षण अनुसंधान न्यास, जोधपुर	1	2015-16	24.11	38.23
	योग	**7**		**5,484.54**	**4,303.81**
जनजाति क्षेत्रीय विकास					
1.	जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाई माधोपुर	2	2014-16	42.16	57.74
2.	सेवा मंदिर, उदयपुर	1	2015-16	1,431.36	1,392.23
	योग	**3**		**1,473.52**	**1,449.97**
महिला एवं बाल विकास					
1.	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	2	2014-16	222.13	220.26
	योग	**2**		**222.13**	**220.26**

क्र. सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त हुआ अनुदान (₹ लाख में)	पूर्व वर्षों के दौरान किया गया खर्च (₹ लाख में)
देवस्थान विभाग					
1.	रामगोपाल विजयवर्गीय स्मृति न्यास, जयपुर	1	2015-16	108.00	236.07
	योग	**1**		**108.00**	**236.07**
सामान्य प्रशासन विभाग					
1.	राजस्थान राज्य उड्डयन विद्यालय, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर	2	2014-16	41.00	27.62
	योग	**2**		**41.00**	**27.62**
पशुपालन					
1.	चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, चित्तौड़गढ़	4	2012-16	506.07	447.79
2.	पश्चिमी राजस्थान जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जोधपुर	1	2015-16	उपलब्ध नही	1,174.08
3.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	3	2013-16	5,892.32	4,873.78
4.	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर	1	2015-16	36.00	27.60
5.	टोंक जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, टोंक	1	2015-16	145.87	274.42
	योग	**10**		**6,580.26**	**6,797.67**
अल्पसंख्यक मामलात					
1.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	1	2015-16	उपलब्ध नही	348.74
2.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारिता निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2015-16	7,567.54	188.33
	योग	**2**		**7,567.54**	**537.07**
सूचना एवं जनसम्पर्क					
1.	राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर	1	2015-16	118.00	163.54
	योग	**1**		**118.00**	**163.54**
कृषि					
1.	राजस्थान कृषि सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों का संघ, जयपुर	9	2007-16	20.00	29.26
2.	महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2015-16	11,690.12	11,821.22
3.	विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र, बडगांव, उदयपुर	1	2015-16	150.50	156.88
	योग	**11**		**11,860.62**	**12,007.36**
बागवानी					
1.	राजस्थान बागवानी विकास समिति, जयपुर	1	2015-16	1,426.54	1,525.27
	योग	**1**		**1,426.54**	**1,525.27**
	कुल योग	**109**		**64,411.91**	**64,751.22**
				₹ 644.12करोड़	**₹ 647.51 करोड़**

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.9.4: पृष्ठ 51 एवं 3.4: पृष्ठ 118)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	तक लेखाओं का अंतिमीकरण	विगत अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश[7]	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2013-14	2.14	1.86
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2015-16	0.75	0.71
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2015-16	1.68	1.49
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2014-15	1.52	2.98
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2015-16	2.49	2.23
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2015-16	0.39	0.65
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2015-16	2.25	1.76
8	वन कूप्स का विभागीय व्यापार	2015-16	शून्य[8]	
9	तेन्दू पत्ता योजना	2015-16	शून्य[8]	
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2015-16	16,553.91	12,199.52
	योग		**16,565.13**	**12,211.20**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

[7] निवेश वित्तीय वर्ष जब तक लेखों का अन्तिमीकरण किया गया के अंतिम दिवस को सरकार के स्थाई एवं चालू पूँजी लेखे के शेष को दर्शाते हैं।

[8] सरकार का पूँजी निवेश शून्य है क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण, सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 119)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2017 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	21	15	23	09	04	01	**73**
2.	शिक्षा	67	57	32	16	13	08	**193**
3.	चिकित्सा	25	18	11	07	08	04	**73**
4.	सार्वजनिक निर्माण	01	02	03	03	14	06	**29**
5.	जल संसाधन	-	01	01	01	01	-	**04**
6.	भू-जल	03	03	07	02	01	-	**16**
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	-	-	01	02	01	-	**04**
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	01	05	04	02	-	01	**13**
9.	वन	02	01	-	03	02	-	**08**
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	32	31	77	44	39	31	**254**
11.	अन्य	84	33	46	21	12	14	**210**
	योग	**236**	**166**	**205**	**110**	**95**	**65**	**877**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 119)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	34	187.07	39	1,011.91	73	1,198.98
2.	शिक्षा	114	137.50	79	1,330.77	193	1,468.27
3.	चिकित्सा	26	54.05	47	524.98	73	579.03
4.	सार्वजनिक निर्माण	06	26.46	23	482.47	29	508.93
5.	जल संसाधन	02	0.55	02	33.95	04	34.50
6.	भू-जल	14	32.12	02	3.40	16	35.52
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	03	6.64	01	0.80	04	7.44
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	08	50.40	05	69.73	13	120.13
9.	वन	06	30.35	02	77.32	08	107.67
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	236	242.70	18	82.41	254	325.11
11.	अन्य	100	780.40	110	1536.03	210	2,316.43
	योग	**549**	**1,548.24**	**328**	**5,153.77**	**877**	**6,702.01**

स्रोतः विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 121)

वर्ष 2012-17 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31.3.2012 को शेष	2012-17 के दौरान		31.3.2017 को शेष
			प्राप्ति	भुगतान	
1.	परियोजना अधिकारी एस/सी विकास निगम, भरतपुर	0.07	शून्य	शून्य	0.07
2.	संयुक्त श्रम आयुक्त, डब्ल्यु सी सी, बीकानेर	11.16	शून्य	शून्य	11.16
3.	सिरेमिक एवं विद्युत विकास समिति, बीकानेर	230.78	शून्य	शून्य	230.78
4.	न्यू एमसीए, एस.बी.बी.जे, बूंदी	0.03	शून्य	शून्य	0.03
5.	मुख्य योजना अधिकारी (सीडीडीएफ), चित्तौड़गढ़	0.01	शून्य	शून्य	0.01
6.	राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड, हनुमानगढ	0.50	शून्य	शून्य	0.50
7.	न्यू एमसीए, ओ बी सी, जयपुर(शहर)	-*	शून्य	शून्य	-*
8.	अधीक्षक, आई टी आई, फागी, जयपुर(ग्रामीण)	0.27	शून्य	शून्य	0.27
9.	उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर (सचिवालय)	79.09	शून्य	शून्य	79.09
10.	राज्य परि. निदेशक, डीपीआईपी एसएस, जयपुर (सचिवालय)	10.94	शून्य	शून्य	10.94
11.	दर समयीकरण कोष, जयपुर (सचिवालय)	1.30	शून्य	शून्य	1.30
12.	राज्य संग्रहालय एवं विरासत अध्ययन संस्थान, जयपुर (सचिवालय)	1,006.00	शून्य	शून्य	1,006.00
13	कृषि उपज मंडी समिति, सांचोर, जालोर	0.15			0.15
14	प्रबंधक, नागरिक सहकारी बैंक, कोटा	0.09			0.09
15	अधिशाषी अभियंता, लघु सिंचाई, सिरोही	17.03			17.03
कुल योग		**1,357.42**			**1,357.42**

* केवल ₹ 171

परिशिष्ट 3.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.10; पृष्ठ 124)

मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	47.00	1.37	42.12	0.51	61.93	0.84
निवल	**(नामे) 45.63**		**(नामे) 41.61**		**(नामे) 61.09**	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	2.26	0.19	1.58	42.00	1.48	(-) 0.02
निवल	**(नामे) 2.07**		**(जमा) 40.42**		**(नामे) 1.50**	
110-भारतीय रिजर्व बैंक उचन्त (ए.ओ.)	-	-	0.04	(-) 0.02	-	-
निवल	-	-	**(नामे) 0.06**		-	-
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)-उचन्त	-	39.40	-	52.48	-	26.69
निवल	**(जमा) 39.40**		**(जमा) 52.48**		**(जमा) 26.69**	
123-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	-	0.17	-	0.17	-	0.17
निवल	**(जमा) 0.17**		**(जमा) 0.17**		**(जमा) 0.17**	
129-सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.13	-	(-) 1.25	-	(-) 3.16
निवल	**(जमा)(-) 3.13**		**(जमा) (-) 1.25**		**(जमा) (-) 3.16**	
निवल योग	**(नामे) 11.26**		**(जमा) 50.15**		**(नामे) 38.89**	

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]* 100
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]* 100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]* 100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जों तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	**विवरण**
चालू राजस्व शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाइये समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष "2048-ऋण घटाने अथवा परिहार्य हेतु विनियोजन" के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशाषी निकाय	स्वायत्तशाषी निकाय (सामान्यत: पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढ़ाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के साथ बिना सरकार के रोज-रोज के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार का राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान ढ़ाँचे कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।
आकस्मिक निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जें इत्यादि)।

पद	विवरण
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम, पर निर्भर करते हुए बनता/नहीं बनता है।
संचित निधि	एक निधि जिसमें सरकार अपने ऋणों को समाप्त करने के लिये अधिक समय के लिये अलग राशि रखती है।
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्त्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल है, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। इसे सीमित ऋणों के रूप में समेकित निधि में जमा किया जाता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं है।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत् हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है; वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।
उचंत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मदें जिन्हें तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उचन्त एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उचन्त लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रेतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लेंवें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उचन्त शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।